अध्याय IV

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान

4.1 प्रस्तावना

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रलाय के अन्तर्गत कार्य करने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण हेतु उत्तरदायी है। कर लेखांकन तथा मिलान यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि शुल्क/कर के संबंध में उगाही किया गया राजस्व उचित रूप से सरकारी खाते में जमा किया गया है तथा किसी विसंगति के बिना उपयुक्त रूप से लेखांकित किया गया है।

4.1.1 कर लेखांकन

सीबीईसी के अन्तर्गत क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा संग्रह किये गए संघीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क क्रमश: मुख्य शीर्ष '0038-संघ उत्पाद शुल्क; 0044-सेवा कर' तथा '0037-सीमाशुल्क' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं। विभिन्न विभागीय प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत प्रतिदाय तथा वापसी भुगतान, लेखाओं के निर्धारित मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित उपयुक्त उप-शीर्षों 'कटौती-प्रतिदाय' तथा कटौती-वापसी' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते है जैसा कि ''केन्द्रीय प्राप्ति एवं वितरणों के लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची'' में दिया गया है।

निर्धारिती नकद/चैक/भुगतान आदेश इत्यादि के द्वारा अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जीएआर-7 चालानों के माध्यम से उन कमिश्नरियों में स्थित नामांकित बैंक शाखा में, जिनका इस पर क्षेत्राधिकार है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का भुगतान करते हैं। चालानों के विवरण वाले बैंक स्क्रोल, प्राप्त करने वाली संबंधित शाखाओं द्वारा अपनी संबंधित केन्द्र बिन्दु शाखाओं (एफपीबी) के माध्यम से भुगतान एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) को भेजे जाते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) प्रणाली की सहायता से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमा शुल्कों का संग्रह किया जाता है तथा शुल्क वापसी का भुगतान किया जाता है। कुछ छोटे पत्तनों में, सीमाशुल्क का भुगतान नामांकित एफपीबी में चालान के माध्यम से किया जाता है।

4.1.2 मिलान

प्राप्तियों का मिलान आन्तरिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष करों में, राजस्व प्राप्तियों का मिलान निम्नलिखित स्तरों पर किया जा रहा है:

(i) प्राप्त करने वाली बैंक शाखा तथा एफपीबी[27] के बीच मिलान,
(ii) एफपीबी तथा पीएओ,
(iii) पीएओ तथा मुख्य लेखा अधिकारी (सीएओ),
(iv) एफपीबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर
(v) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए) के कार्यालय में प्रधान लेखा अधिकारी (प्र. एओ) तथा आरबीआई
(vi) प्र. सीसीए में प्र.ए.ओ तथा पीएओ

[27] यह बैंको द्वारा किया जाता है। विभाग यह मिलान नहीं कर रहा है तथा लेखापरीक्षा ने भी इसकी जांच नहीं की है

सीबीईसी में नामांकित बैंकों में लेखाओं का प्रवाह तथा राजस्व प्राप्तियों का मिलान

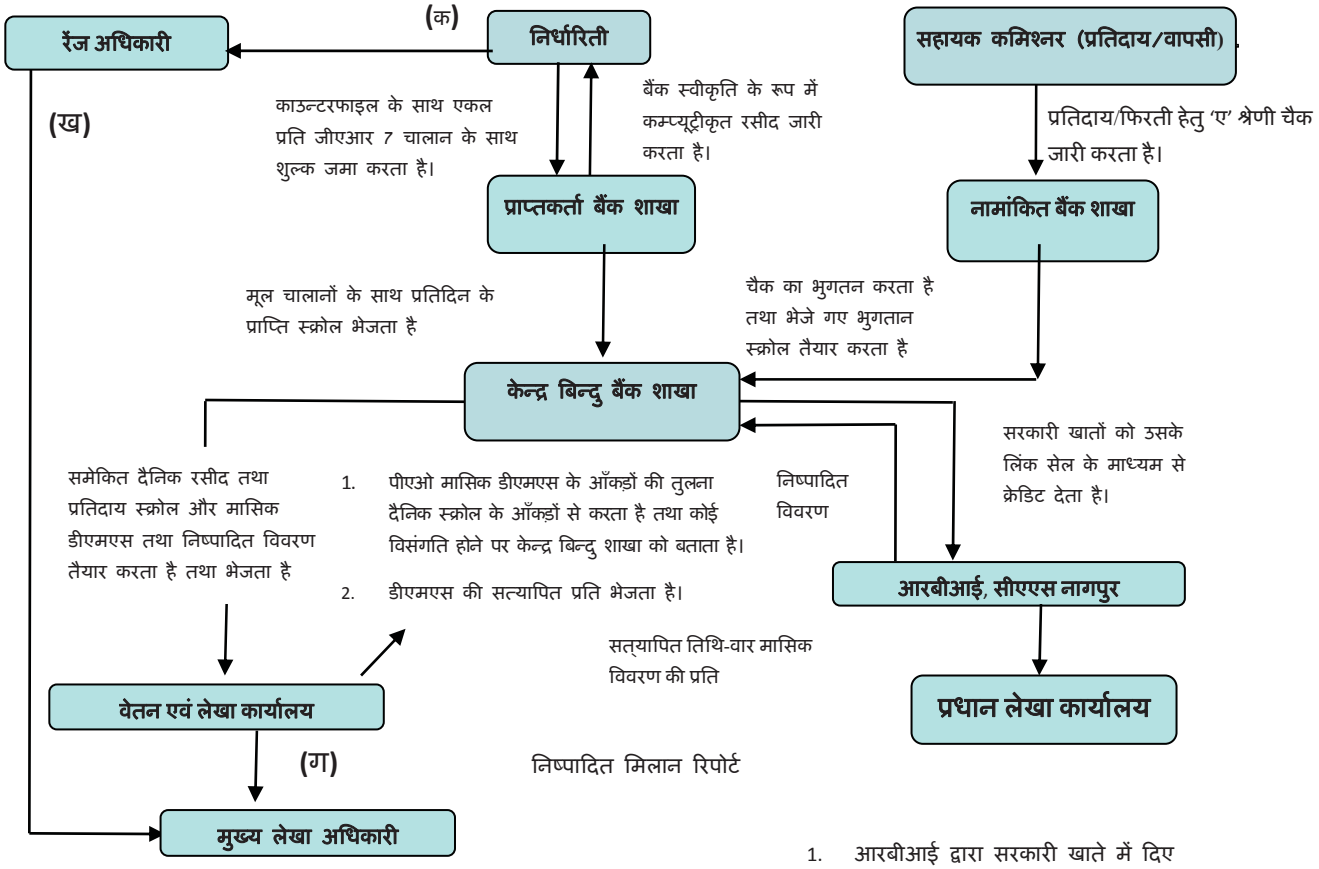

(घ)

(A) रिटर्न फाइल करता है।

(B) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व की रिपोर्ट समेकित करता है

(C) कम्प्यूटर के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों का समेकन करता है तथा सीडी में चालान वार आँकडों की मासिक रिपोर्ट भेजता है।

(D) दोनो रिपोटों की तुलना करता है तथा पीएओ की बहियों में कम /अधिक क्रेडिट का विवरण तैयार करता है।

1. आरबीआई द्वारा सरकारी खाते में दिए गए क्रेडिट के लिए केन्द्र बिन्दु शाखा से प्राप्त डीएमएस की निष्पादित विवरण के साथ तुलना करता है।

2. अधिक/दोहरे/कम निष्पादित किये गए संव्यवहारों के विवरण तैयार करता है तथा उनके समाधान हेतु मामले को बैंक के समक्ष रखता है।

स्रोत: अप्रत्यक्ष करों के लेखांकन की नियमपुस्तिका

4.1.3 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए) का कार्यालय सीबीईसी में लेखांकन संगठनात्मक ढांचे का प्रमुख है। यह बैंकिंग व्यवस्था निर्धारित करते हुए राजस्व के संग्रह तथा उनके लेखांकन से संबंधित मामलों पर सीबीईसी को वित्तीय तथा तकनीकी सलाह देता है तथा पूरे देश में स्थित पीएओ के माध्यम से प्रत्येक विभागीय कमिश्नरी के व्यय तथा राजस्व (अप्रत्यक्ष कर) दोनों के सटीक लेखांकन हेतु उत्तरदायी है। वर्तमान में प्र. सीसीए की सहायता हेतु 80 पीएओ हैं। प्र.सीसीए के भुगतान नियंत्रण के अन्तर्गत 817 आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) है जिनमें से 143 डीडीओ को चेक आहरण की शक्तियां प्राप्त है तथा शेष 674 डीडीओ गैर-चैक आहरण एवं वितरण अधिकारी (एनसीडीडीओ) हैं जो चेक आहरण डीडीओ अथवा सीधे ही पीएओ को अपने बिल प्रस्तुत करते हैं।

<u>लेखांकन संगठन का संगठनात्मक चार्ट, सीबीईसी</u>

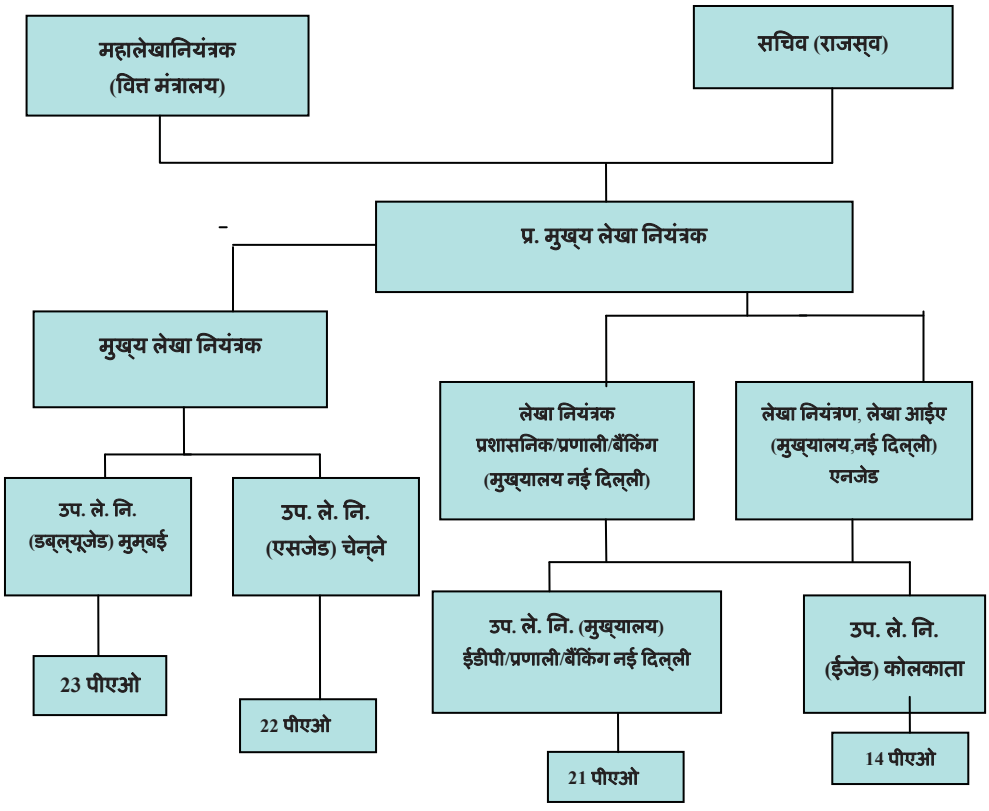

स्रोत: अप्रत्यक्ष करों की लेखांकन नियमपुस्तिका

4.1.4 विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहे सॉफ्टवेयर

ईजीएस्ट- इलैक्ट्रॉनिकएकांउटिंग सिस्टम इन एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स (ईजीएस्ट) सीबीईसी द्वारा 2007 में प्रारंभ किया गया वेब आधारित भुगतान गेटवे है जो निर्धारिती को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का भुगतान ऑनलाइन करने में सक्षम करता है। यह कर संग्रह करने वाले बैंको के ई-भुगतान पोर्टल से इन्टरफेस करता है तथा राजस्व एवं कर दाता लेखांकन प्रक्रिया हेतु बैंको से सटीक कर भुगतान डाटा उपलब्ध कराता है।

एसीईएस- आटोमेशन ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स (एसीईएस) एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर-दाता सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा दक्षता में सुधार करना है। यह एप्लीकेशन वेब-आधारित तथा कार्य प्रवाह-आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाया है।

आइसगेट- इण्डियन कस्टम्स इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे (आइसगेट) एक पोर्टल है जो सीमाशुल्क विभाग के ट्रेड एवं कार्गो वाहकों तथा अन्य ग्राहकों (सामूहिक रूप से ट्रेडिंग भागीदार कहा जाता है) को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है।

पी-सीबीईसी- यह वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से डाटा एकत्र करना तथा इसे संसाधित करना एवं प्र.सीसीए, सीबीईसी के केन्द्रीय सर्वर के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (पीएओ) को जोड़ कर समेकित रिपोर्ट सृजित करना है।

काम्पैक्ट (रिवैक्ट)- यह सभी पीएओ तथा दो ई-पीएओ कार्यालयों (एक चेन्नै में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु तथा दूसरा मुम्बई में सेवा कर हेतु) में प्राप्ति लेखांकन हेतु बना सॉफ्टवेयर है। पीएओ स्तर पर यह उनकी कार्यप्रणाली में दक्षता तथा सटीकता लाने हेतु लेखांकन प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा आगे की प्रक्रिया हेतु लेखांकन प्रणालियों के उच्चतर स्तरों को सूचना उपलब्ध कराता है।

4.1.5 इस विषय को चुनने का कारण

कर लेखांकन एवं मिलान, राजस्व को उपयुक्त वर्गीकरण के साथ सरकारी खाते में उचित रूप से जमा करने के लिए एक तंत्र है। 2007 में ईजीएस्ट को लागू करने के पश्चात, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ई-भुगतान के संग्रहण हेतु अप्रैल 2010 में ई-पीएओ की शुरूआत की गई थी। रेंज अधिकारी के स्तर पर ई-मिलान की शुरूआत भी की गई। इन विकासों के मद्देनजर, हमने सीबीईसी के कर

लेखांकन तथा मिलान प्रणाली के वर्तमान ढांचे की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु प्रयोजन किया।

4.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

i. केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के कर लेखांकन तथा मिलान के संबंध में नियमों, परिपत्रों, निर्देशों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता।
ii. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमाशुल्क के कर लेखांकन तथा मिलान में संवैधानिक प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन।
iii. निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता।

4.1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

हमने कर लेखांकन तथा मिलान की लेखापरीक्षा के अन्तर्गत कवरेज हेतु 46 पीएओ, इन पीएओ के अन्तर्गत कार्य कर रही 63 कमिश्नरियों तथा चयनित प्रत्येक कमिश्नरी के अन्तर्गत चार रेंजों का चयन किया। कवरेज की अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जुलाई एवं नवम्बर 2014 के बीच की गई थी।

इस अध्याय में दी गई लेखापरीक्षा आपत्तियां पीएओ के साथ-साथ कमिश्नरियों से संबंधित हैं। मंत्रालय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमाशुल्क कमिश्नरियों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत किया। पीएओ संबंधित आपत्ति के संबंध में प्र.सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

4.1.8 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमावली, नियमपुस्तिकाओं तथा निर्देशों में दर्शाये गए कार्य तथा उत्तरदायित्वों पर आधारित था:

i) सीबीईसी की अप्रत्यक्ष करों की लेखांकन नियमपुस्तिका, 2013
ii) सीजीए की उचंत नियमपुस्तिका
iii) वित्त मंत्रालय सीजीए, द्वारा जारी की गई सिविल लेखा नियमपुस्तिका, 2007
iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002
v) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005
vi) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983

vii) वित्त अधिनियम, 1994

viii) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

ix) सीबीईसी द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश, दिशा निर्देश इत्यादि।

भाग-क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

4.2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लेखांकन

शुल्क संग्रह के उचित चित्रण हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उचित लेखांकन आवश्यक है। हमने इस संबंध में निम्नलिखित विसंगतियां देखी।

4.2.1 राजस्व प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व उचित रूप से सरकारी खाते में जमा किया गया है, सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के साथ राजस्व प्राप्तियों का उचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर, व्यवस्था में कतिपय कमियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं में विसंगतियाँ देखी गई थीं जिन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई हैं।

4.2.1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कमिश्नरियों द्वारा, पीएओ द्वारा बुक किये गए राजस्व के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार, पीएओ संबंधित कमिश्नरी के सीएओ को एक निर्धारिती-वार संग्रह रिपोर्ट उपलब्ध कराएगें। सीएओ इसे संबंधित डिवीजन/रेंज अधिकारी को वितरित करेगा। रेंज अधिकारी बदले में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किये गए रिटर्नों के साथ इसकी तुलना करेगा तथा सीएओ को प्रस्तुत करने हेतु एक मासिक विवरण तैयार करेगा जैसा कि सीबीईसी के निर्देश सं. 224/37/2005-ईएक्स-6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 द्वारा निर्देशित किया गया है। सीएओ विसंगतियों को 'कम क्रेडिट' तथा 'अधिक क्रेडिट' के रूप में नोट करता है तथा एक प्रति पीएओ को अग्रेषित करता है1 'अधिक क्रेडिट' के मामले में सीएओ संबंधित रेंज अधिकारी के साथ आवश्यक पत्राचार करता है तथा 'कम क्रेडिट' के मामले में पीएओ एफपीबी के साथ बातचीत करता है।

हमने इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं:

(i) चयनित 49 कमिश्नरियों में से, 41 कमिश्नरियों में कोई मिलान नहीं किया जा रहा था तथा परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 2,36,295 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों का मिलान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने दस कमिश्नरियों[28] में डाटा का संग्रहण किया जहां मिलान नहीं किया गया था तथा पीएओ/ई-पीएओ के राजस्व प्राप्ति आंकड़ों की तुलना विभागीय आँकड़ों से करने से ₹ 512.07 करोड़ के 'कम क्रेडिट' तथा ₹ 1,230.02 करोड़ के 'अधिक क्रेडिट' का पता चला।

हमने यह बताया (जून से अक्तूबर 2014) तथा 41 कमिश्नरियों ने इस प्रकार उत्तर दिया (जून से दिसम्बर 2014):

नौ कमिश्नरियों[29] ने मिलान न करने के तथ्य को स्वीकार किया।

छः कमिश्नरियों[30] ने बताया कि पीएओ तथा ई-पीएओ से निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्टों की प्राप्ति न होने के कारण मिलान नहीं किया जा सका था।

तीन कमिश्नरियों[31] ने बताया कि पीएओ/ई-पीएओ से प्राप्त डाटा, रेंज/डिवीजनों को भेजा गया था परन्तु अभी तक मिलान रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं।

नौ कमिश्नरियों[32] ने उत्तर दिया कि मिलान चल रहा था। जबकि पांच कमिश्नरियों[33] ने उत्तर दिया कि कमिश्नरियों में सीएओ की गैर-संस्वीकृति/कार्य न करने के कारण मिलान नहीं किया गया था।

चार कमिश्नरियों[34] ने उत्तर दिया कि ई-भुगतान प्रणाली की शुरूआत के पश्चात, मिलान की समग्र प्रक्रिया को स्वचालित हो गया है तथा सीएओ/पीएओ डाटा की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमपुस्तिका का पैरा 12.3.4 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ई-पीएओ (आनलाईन भुगतान के मामले में) भी प्रति माह विभागीय मिलान हेतु कमिश्नरी को निर्धारिती-वार भुगतान/चालान ब्यौरे भेजेगा तथा पैरा 12.10.1 के अनुसार, कमिश्नरियों को पीएओ के साथ राजस्व का मिलान करना होगा। नौ कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मिलान तथा कम/अधिक क्रेडिट के रूप में विसंगतियां मिलान प्रक्रिया की आवश्यकता का संकेत करती हैं।

---

[28] मुम्बई-I, रायगढ़, ठाणे-I, II, बेलापुर, नासिक, तिरूपति, डिब्रूगढ़, अहमदाबाद-II, राजकोट

[29] ठाणे I, नासिक, भुवनेश्वर I, II, रायगढ़, कोलकाता VI, मदुरै, कालीकट तथा इलाहाबाद

[30] चण्डीगढ़ I, रायपुर, हल्दिया, पंचकुला, डिब्रूगढ एवं ठाणे II

[31] चण्डीगढ़ II, मुम्बई I तथा बेलापुर

[32] पुदुचेरी, चेन्नै IV, तिरूनलवल्ली, कोयम्बेतूर, गाजियाबाद, जयपुर I, II, वापी एवं दमन

[33] भोपाल, दिल्ली II, दिल्ली एलटीयू, इन्दौर तथा मेरठ

[34] दिल्ली I, अहमदाबाद II, राजकोट, कोचीन

पांच कमिश्नरियों[35] से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

कमिश्नरियों के अलग अलग उत्तर दर्शाते हैं कि मिलान के प्रति क्षेत्रीय संरचनाओं के विचार अलग अलग है तथा कार्य नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त अनुदेशों के साथ मुद्दे को स्पष्ट किया जाना चाहिये तथा मिलान प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु व्यवस्था की जानी चाहिये।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अक्तूबर 2015) कि एसीईएस के लागू होने के बाद, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के बोर्ड के अनुदेशों में निर्धारित राजस्व मिलान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बताया कि सामयिक रूप से तथा नियमित रूप से इन अनुदेशों का पालन किये जाने की आवश्यकता है। इसने यह भी बताया कि राजस्व की रिपोर्टिंग तिथि मानने में अन्तर के कारण ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर तथा पीएओ के बीच मिलान प्रणाली में कुछ विसंगतियाँ है जिनका समाधान किया जा रहा है तथा अनेक उपाय प्रारंभ किये गए है जो इस प्रकार हैं:

क) प्र. सीसीए से एसीईएस/ईजीएस्ट के साथ तुल्यकालन में निर्धारिती विवरणों को अद्यतित करने का अनुरोध किया गया है।

ख) एनएसडीएल को चालान प्रस्तुति तिथि के आधार पर राजस्व रिपोर्टिंग तिथि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

ग) प्र. सीसीए को ईजीएस्ट से चालान डाटा मंगवाने के लिए तथा पीएओ तथा बैंकों के बीच सूचना साझा करके राजस्व का उचित मिलान करने के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ii) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जहां मिलान किया जा रहा था, वहां यह केवल पिछले वर्षों के लिए किया जा रहा था तथा वर्तमान तिथि तक मिलान पूर्ण नहीं किया गया था। छह कमिश्नरियों में मिलान में 12 से 66 महीने तक का विलम्ब था जैसा तालिका 4.1 में वर्णित है:

[35] बैंगलुरू ।,।।, मैसूर, राँची तथा जमशेदपुर

तालिका 4.1: मिलान में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कमिश्नरी	जिस तिथि तक मिलान पूरा किया गया था	विलम्ब महीनों में (दिसम्बर 2014 को)
1	हैदराबाद –I	अगस्त 2013	16
2	हैदराबाद -II	दिसम्बर 2013	12
3	हैदराबाद -III	मई 2013	19
4	चेन्नै-II	मार्च 2012	33
5	तिरूपति	फरवरी 2011*	46
6	बोलपुर	जून 2009	66

* तिरूपति कमिश्नरी में, ई-भुगतान के माध्यम से वसूले गए राजस्व पर मिलान हेतु विचार नहीं किया गया था

जब हमने यह बताया (अगस्त से नवम्बर 2014 के बीच) तो मंत्रालय ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि हैदराबाद I तथा III कमिश्नरी में, मिलान क्रमश: नवम्बर तथा सितम्बर 2013 तक पूरा किया गया था तथा आगे की सूचना ई-पीएओ से प्रतीक्षित थी। हैदराबाद II में मिलान दो महीने में पूरा हो जाएगा। चेन्नै II में, मिलान दिसम्बर 2014 तक पूरा हो गया था तथा कोई विसंगति नहीं पाई गई थी। बोलपुर कमिश्नरी में, पहले पीएओ से डाटा उचित रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, यह अभी प्राप्त हुआ था तथा मिलान किया जा रहा था। तिरूपति कमिश्नरी के मामले में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एसीईएस तथा एनएसडीएल में इसकी जांच हो जाने के कारण मिलान की आवश्यकता नहीं थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने विभिन्न कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तर विश्लेषण किये बिना तथा अन्तिम विचार किये बिना ही अग्रेषित किये हैं। तिरूपति कमिश्नरी के मामले में मंत्रालय का विचार सही नहीं है क्योंकि यह पता लगाने के लिए कि कमिश्नरी द्वारा बुक की गई राशि उचित रूप से सरकारी खाते में जमा की गई है, पीएओ तथा कमिश्नरी के बीच मिलान आवश्यक है मंत्रालय को ऐसी कमिश्नरियों को निर्देश जारी करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ई-पीएओ/पीएओ से डाटा नियमित रूप से कमिश्नरी को भेजा जाये।

लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय को एक अन्तिम विचार करने तथा तदनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं को अनुदेश जारी करने की आवश्यकता है।

(iii) कोलकाता II तथा कोलकाता V कमिश्नरियों में, क्रमश: जुलाई 2012 तथा नवम्बर 2012 से मिलान शुरू किया गया था परन्तु पिछली अवधि के लिए कोई मिलान नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2014 तथा अक्तूबर 2014), कोलकाता II कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि अप्रैल 2011 से जून 2012 की अवधि के लिए रेजों से मिलान रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थीं तथा मिलान बाद की अवधि अर्थात जुलाई 2012 से फरवरी 2013 के लिए किया गया था। मार्च 2013 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिए रिपोर्टें जुलाई 2014 में प्राप्त हुई थीं तथा ये संवीक्षा के अधीन थीं।

कोलकाता V कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि वर्ष 2011-12 हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। 2012-13 के लिए मिलान केवल जुलाई 2012 तथा नवम्बर 2012 से मार्च 2013 के महीनों के लिए किया गया था। 2013-14 के लिए मिलान मार्च 2014 तक किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि कोलकाता II कमिश्नरी के लिए आगे की रिपोर्ट पुन: भेजी जायेगी।

कोलकाता V कमिश्नरी के लिए, मंत्रालय ने एक ओर बताया कि रेंज अधिकारी द्वारा विवरणी की एनएसडीएल के साथ तुलना उद्देश्य को पूरा करती है जबकि दूसरी ओर कहा कि कमिश्नरी को प्रक्रिया का अनुसरण करने के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर विरोधात्मक है जिसके निराकरण की आवश्यकता है और अनुरुपता के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) लेखापरीक्षा ने देखा कि चार कमिश्नरियों ने 'कम क्रेडिट' और 'अधिक क्रेडिट' का पता लगाया जैसा कि तालिका 4.2 में विस्तृत किया गया है। तथापि, इन त्रुटियों के सुधार के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

तालिका 4.2: संबंधित रेंज और पीएओ के मध्य आंकड़ों के मिलान के दौरान पाई गई त्रुटियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	कमिश्नरी	तक मिलान किया गया	अधिक क्रेडिटस	कम क्रेडिट
1	हैदराबाद-I	अगस्त 2013	703.55	42,357.34
2	हैदराबाद-II	दिसम्बर 2013	4293.00	1275.00
3	तिरूपती	फरवरी 2011	54.46	35.06
4	बोलपुर	जून 2009	3.68	6.73

जब हमने इसे बताया (अगस्त से नवम्बर 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि हैदराबाद I, II और बोलपुर कमिश्नरी में मिलान प्रारंभ

किया जा चुका था। तिरूपती कमिश्नरी के लिए, इसने बताया कि मिलान की आवश्यकता नहीं थी जो कि पिछले पैरा में बताए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं है।

(v) हैदराबाद III कमिश्नरी में मई 2012 के माह के लिए ₹ 406.00 करोड़ की राशि के 'कम क्रेडिट' और ₹ 599.31 करोड़ की राशि के 'अधिक क्रेडिट' के अंत शेष को जून 2012 के माह के अथशेष के रूप में अग्रेनीत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 'कम क्रेडिट' और 'अधिक क्रेडिट' का गलत चित्रण हुआ।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि मई 2012 में राशि का मिलान किया गया था और इस प्रकार जून 2012 में अग्रेणीत नहीं किया गया था।

(vi) वर्ष 2012-13 के लिए, ई-पीएओ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चैन्नै के मासिक लेखाओं की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 198.86 करोड़ और ₹ 202.22 करोड़ की प्राप्तियॉं क्रमशः सितम्बर और अक्तूबर 2012 के माह में चेन्नै। कमिश्नरी के तहत लेखांकित की गई थी जो कि ₹ 24 करोड़ से अधिक नहीं की सामान्य मासिक प्राप्तियों की प्रवृत्ति के समनुरूप नहीं थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), उप लेखानियंत्रक (डीसीए) चेन्नै ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि सितम्बर और अक्तूबर 2012 के लिए वास्तविक राजस्व संग्रहण केवल क्रमशः ₹ 17.91 करोड़ और ₹ 24.92 करोड़ था और राजस्व संग्रहण में अन्तर संबंधित माह में कुछ बैंको द्वारा उपयुक्त गलत स्थान कोड के कारण था। डीसीए ने आगे उत्तर दिया कि कमिश्नरियों द्वारा राजस्व आंकड़ों के गैर-मिलान के कारण, इन्हें पहले परिशोधित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार पीएओ और कमिश्नरियों द्वारा राजस्व के मिलान न करने के परिणामस्वरूप सितम्बर 2012 में ₹ 180.95 करोड़ और अक्तूबर 2012 में ₹ 177.30 करोड़ की स्फीत बुकिंग हुई। मिलान प्रणाली के द्वारा राजस्व उगाही में असामान्य वृद्धि/कमी के मामलों का भी पता लगाने में विफल रहना, प्रक्रिया में गंभीरता की कमी को दर्शाते है।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।

उपरोक्त अभ्युक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर स्थानों पर मिलान नहीं किया जा रहा है और जहां यह किया जा रहा है वहां त्रुटियों का

परिशोधन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, सरकारी खाते में जमा किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.2.1.2 तारीख-वार मासिक विवरणों (डीएमएस) और पुट-थ्रू विवरणों (पीटीएस) के बीच विसंगति

नियुमपुस्तिका के पैरा 6.1.2.3 के अनुसार, संबंधित पीएओ को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक महीने के अंत में मासिक आधार पर एफपीबी डीएमएस बनाएगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.15 में बताया गया है कि सीएएस, आरबीआई नागपुर सरकारी खाते में बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्ष-वार राशि दिखाने वाला पुट-थ्रू सृजित करेगा और उसे पीएओ और संबंधित बैंक के लिंक सेल को प्रस्तुत करेगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 के अनुसार, संबंधित पीएओ और एफपीबी, डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान के लिए उत्तरदायी हैं।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि, 46 नमूना जांच किए गए पीएओ में से, चार पीएओ[36] में पीटीएस और डीएमएस का मिलान नहीं किया गया था। पीएओ भोपाल में, 2006-07 से 2012-13 की अवधि के दौरान मिलान नहीं किया गया था और 2013-14 में 'शून्य' अथशेष से प्रारंभ किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त से अक्तूबर 2014), मंत्रालय ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि बोलपुर पीएओ में, मिलान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। कालीकट, दिल्ली, रायपुर और भोपाल कमिश्नरियों के लिए इसने बताया कि अभ्युक्ति पीएओ से संबंधित और प्र. सीसीए के उत्तर पर विचार किया जाए। प्र. सीसीए का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2015)।

(ii) लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 13 पीएओ[37]में जहाँ मिलान किया गया था वहां मार्च 2014 के अंत में, सीएएस, आरबीआई, नागपुर द्वारा तैयार किए गए पीटीएस और एफपीबी और पीटीएस के डीएमएस के बीच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में ₹ 38.78 करोड़ और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदायों में ₹ 141.17 करोड़ की राशि का अन्तर था। अन्तर परिशोधन हेतु लंबित था।

इसमें से, प्राप्ति पक्ष में पीटीएस की तुलना में डीएमएस में राशि ₹ 23.24 करोड़ तक अधिक थी जो यह दर्शाते है कि राशि का भुगतान बैंक को किया गया था किंतु सरकारी खाते में जमा नहीं किया था। भुगतान पक्ष में

---

[36] कालीकट, बोलपुर, दिल्ली एवं रायपुर

[37] हैदराबाद, तिरूपति, भुवनेशवर।, अहमदाबाद, वापी-दमन, नासिक, कोलकाता, प्रत्यक्ष पीएओ चेन्नैई, ई-पीएओ चेन्नै, पुदुचेरी, कोचीन, भोपाल, जयपुर

₹ 118.41 करोड़ की राशि पीटीएस में अधिक थी जो दर्शाता है कि बैंको द्वारा सरकारी खाते से उनके द्वारा वास्तविक रूप से प्रदत्त राशि से अधिक राशि का दावा किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त से अक्तूबर 2014 के बीच) डीसीए चेन्नै ने बताया (मई 2015) कि पीएओ द्वारा विसंगति के परिशोधन के लिए मामले को बैंको के साथ उठाया गया था।

मंत्रलय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि हैदराबाद, अहमदाबाद I, वापी-दमन, पुदुचेरी और भोपाल पीएओ में प्रयास किए जा रहे थे। नासिक, कोलकाता, प्रत्यक्ष पीएओ चेन्नै, ई-पीएओ चेन्नै, कोची, जयपुर और भुवनेश्वर I पीएओ के लिए इसने यह कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं दी कि अभ्युक्ति पीएओ से संबंधित थी। तिरूपति पीएओ के लिए इसने पुनः बताया कि मिलान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि क्षेत्रीय संरचनाएं इसका सत्यापन एसीईएस और एनएसडीएल के साथ कर रही थी।

मंत्रालय का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि सभी अभ्युक्तियाँ केवल पीएओ से संबंधित थी। मंत्रालय को एक अंतिम समीक्षा करने और सुसंगति के लिए सभी पीएओ को अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। प्र. सीसीए का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

4.2.1.3 चालानो के नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट पर नहीं पाए जाने के परिणामस्वरूप शुल्क का मिलान नहीं होना

नियम-पुस्तिका के पैरा सं. 6.5.4 के अनुबंध 6.3 में विहित पद्धति के अनुसार, बैंक दैनिक आधार पर ईएएसआईईएसटी प्रणाली पर संग्रहीत करों के चालान डाटा अपलोड करेगा। एनएसडीएल की केन्द्रीय प्रणाली बैंकों द्वारा अपलोड किए गए डाटा फाइलों की फाइल सरंचना की जांच करेगी और यदि सही पाई गए तो अगले कार्यकारी दिवस पर प्रतिदिन सीबीईसी को संकलित डाटा भेजेगी। सीबीईसी एनएसडीएल वेबसाइट, बैंक में जमा चालानों की ऑनलाइन प्रास्थिति को ट्रैक करने के लिए चालान पहचान संख्या पर आधारित आलोकन मुहैया कराती है।

रेंजों में चालान ब्यौरों की नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि चार कमिश्नरियों के तहत चार रेंजों में, निर्धारितियों की विवरणियों में मुहैया कराए गए ब्यौरों अनुसार ₹ 21.74 लाख की राशि वाले आठ चालान सरकार को

प्रेषण के रूप में दिखाए गए थे किंतु चालान एनएसडीएल वेबसाइट पर नहीं पाए गए।

आगे जाँच से पता चला कि दिल्ली कमिश्नरी में ₹ 1.55 लाख की राशि के मैसर्स फ्लोरा आर्ट के एक चालान के संबंध में, एसीईएस द्वारा त्रुटि का पता चला था और समीक्षा भी की गई थी तथापि, इस चालान को एनएसडीएल की वेबसाइट पर ट्रेस नहीं किया जा सका। इलाहाबाद कमिश्नरी से संबंधित ₹ 16.99 लाख राशि के तीन चालानों के मामले में, एसीईएस द्वारा गलती का पता नहीं लगाया गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी वापी में, हमनें देखा कि मैसर्स अनिकेत मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 01 अक्तुबर 2011 को चेक सं. 960418 द्वारा ₹ 0.93 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। किंतु चालान एनएसडीएल पर उपलब्ध नहीं थे। पीएओ अभिलेखों के साथ इसका सत्यापन करने पर, यह देखा गया कि राशि सरकारी खाते में जमा नहीं हुई थी।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्तूबर 2014 के बीच), मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मैसर्स फ्लोरा आर्ट के मामले में निर्धारिती द्वारा ₹ 1.55 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान किया गया और उसका सत्यापन किया गया तथापि, चालान सं. की गलती के कारण चालान एनएसडीएल की वेबसाइट पर नहीं पाया जा सका। इसी प्रकार, जेएस इंडस्ट्रीज से संबंधित चालानों का सत्यापन किया गया था और सही पाया गया किंतु एनएसडीएल पर उपलब्ध नहीं थे और बैंको को कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। मैसर्स चैम्पियन सीबी एंड कम्पनी के मामले में, मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा। मैसर्स अनिकेत मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, इसने बताया कि मामले का अभिनिर्णयन हो गया था और वसूलियां की गईं थीं।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि मामले का समाधान करने के लिए मंत्रालय को अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.2.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर का वर्गीकरण

सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को मुख्य शीर्ष 0038 संघ उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। शिक्षा उपकर (ईसी) एवं माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी) केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्ग्रहीत जाते हैं और साझा योग्य शुल्क का भाग नहीं है। ईसी और एसएचईसी के तहत प्राप्तियों को मानव संसाधन

विकास मंत्रालय को हस्तान्तरित किया जाता हैं। इस प्रकार, न केवल लेखाओं के सही प्रस्तुतीकरण के लिए बल्कि ऐसे अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए राशि के आवंटन के लिए भी उपकर का सही वर्गीकरण आवश्यक है।

हमने शुल्क उपकर के निम्नलिखित गलत वर्गीकरण देखें जैसा कि आगामी पैराओं में ब्यौरा दिया गया है।

4.2.2.1 ईसी/एसएचईसी का वर्गीकरण

प्र.सीसीए के अनुदेशों[38] के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ईसी और एसएचईसी का भुगतान क्रमशः लेखाकन कोड 00380003, 00380111 और 00380115 के तहत किया जाना है।

प्रारंभिक तौर पर, 01 मार्च 2007 से उत्पाद शुल्क पर एसएचईसी लागू करने के बाद, सीबीईसी ने लेखांकन कोड 00380086 को अस्थायी आधार पर 'लघु शीर्ष-हस्तान्तरण प्रतीक्षित प्राप्ति (आरएटी)' के रूप में अधिसूचित किया था। इस लेखांकन कोड को बाद में उपर्युक्त अनुदेश के द्वारा नए लेखांकन कोड 00380115 में आशोधित किया गया था।

सिविल लेखा नियम-पुस्तिका के पैरा 5.3 के अनुसार, मूल लेखाओं में वर्गीकरण की गलती को सही करने के लिए हस्तांतरण प्रविष्टियों की आवश्यकता है। यदि उस वर्ष, जिसमें गलतियाँ हुई है, के लेखाओं को बंद कर दिया गया है तो ऐसी प्रविष्टि को प्र. सीसीए के अनुमोदन से पारित किया जा सकता है।

हमने देखा कि तीन पीएओ से संबंधित गुजरात के चार कमिश्नरियों में 266 निर्धारितियों ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान अस्थायी लेखांकन कोड 00380086 में ₹ 47.85 लाख के एसएचईसी प्रेषित किए थे । आगे, पीएओ ने सही लेखांकन शीर्ष- 00380115 के बजाय इस प्रकार की एसएचईसी राशि को गलती से 'अन्य प्राप्तियों शीर्ष- 00380087' में लेखांकित किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विभाग ने अक्तूबर 2007 में एसएचईसी को नए लेखांकन कोड 00380115 को आवंटित करने के बाद, ईएएसआईईएसटी सॉफ्टेवयर की निदेशिका से अस्थायी लेखांकन कोड 00380086 को निष्क्रिय करने के लिए कोई काईवाई नहीं की जिसके कारण एसएचईसी का गलत वर्गीकरण हुआ।

[38] सं. समन्वय/13-6/98-88/खंड. Iv/454 दिनांक 4 अक्तूबर 2007

जब हमने इसे बताया (जुलाई से सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि राजकोट और अहमदाबाद II पीएओ में निर्धारिती ने अस्थायी लेखांकन कोड का उल्लेख किया जो कि आरईवीएसीटी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं थे, इस प्रकार, राशि को शीर्ष 00380087 के तहत बुक किया गया ताकि चालानों को मासिक लेखाओं में संकलित किया जा सके। वापी-दमन पीएओ में, निर्धारितियों को उचित शीर्ष के तहत भुगतान करने का और गलत लेखांकन कोड के परिशोधन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड सभी संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन करने के लिए कार्रवाई की जाये और उचित शीर्ष में विभिन्न उपकर के लेखांकन की उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुदेश जारी किये जायें क्योंकि उपकर का अनुचित लेखांकन संबंधित शीर्षों में हस्तांतरण को प्रभावित करता है।

मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और बताया कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन किया जायेगा और ईसी और एसएचईसी के उचित लेखांकन के लिए नये अनुदेश जारी किए जायेंगें।

4.2.2.2 लेखांकन शीर्ष में गलती का परिशोधन

प्र. सीसीए के लेखांकन शीर्ष में सुधार के लिए अनुदेशों[39] के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी ओर से उस अनुरक्षित वर्ष के पर्सनल लेजर एकाउन्ट (पीएलए) में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं या किए जा रहे हैं, पीएओ को संबंधित कमिश्नरी से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और कमीश्नर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सीओएमपीएसीटी (आरईवीएसीटी) द्वारा आवश्यक सुधार किए जाएंगे। यदि प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक की राशि शामिल है तो आगे प्र. सीसीए से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

पीएओ/कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने निम्नलिखित अनियमितताएं देखी:

(i) भुवनेश्वर I और II कमिश्नरियों के तहत छह निर्धारितियों ने ₹ 3.10 करोड की राशि वाले लेखांकन शीर्ष में गलतियों के परिशोधन के लिए पीएओ भुवनेश्वर से अनुरोध किया और पीएओ ने ऐसे अनुरोध को संबंधित कमिश्नरी को अग्रेषित कर दिया। किंतु इन सभी मामलों में संबंधित कमिश्नरियों से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।

---

[39] ओएम सं. समन्वय/i (एस)/आर, II/9-10/23 दिनांक 27 मई 2009

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), पीएओ ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि आगे की सूचना कमिश्नरी से प्रतीक्षित है।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि भुवनेश्वर I कमिश्नरी में, पीएओ से कोई अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ था किंतु लेखांकन कोड में परिशोधन के लिए कमिश्नरी द्वारा कदम उठाए जा रहे थे। भुवनेश्वर II कमिश्नरी के संबंध में, इसने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर, परिशोधन करने के लिए, पीएओ और कमिश्नरी के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

(ii) तिरूपती कमिश्नरी के कुरनूल रेंज के तहत मैसर्स आस्था अलॉए कोर्प ने लेखांकन कोड 0038003 (बीईडी) के बजाय 00380031 (अन्य) के तहत ₹ 8.59 लाख की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को गलत ढंग से प्रेषित किया था (जुलाई 2013)। निर्धारिती ने लेखांकन कोड को सही करने के लिए सीएओ को आवेदन किया (अगस्त 2013) जिसे ई-पीएओ चेन्नै को लेखाओं में परिशोधन के लिए अग्रेषित किया गया था और ई-पीएओ ने कमिश्नरी को उनके अनुमोदन के लिए मामले को भेजा। सीएओ ने तब करनूल । रेंज से निर्धारिती के पीएलए में आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में कहा । तथापि अक्तूबर 2014 तक परिशोधन नहीं किया गया।

जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि ईकाई बंद हो चुकी थी, तथापि, गलती में परिशोधन करने और उसे पीएओ को अग्रेषित करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी ।

4.2.3 उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत बकाया शेष

उचंत और प्रेषण शीर्ष दोनों मध्यवर्ती हैं और अंतिम शीर्ष में प्रति प्रतिपक्षी नामे/जमा के माध्यम से उनकी निकासी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.2.3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर और सीमा-शुल्क के संबंध में उचंत लेखा शीर्ष के तहत बकाया शेष

उचंत नियम-पुस्तिका के पैरा 1.1 के अनुसार प्राप्तियों और भुगतानों, जिन्हे सूचना के अभाव के कारण या किसी और कारण से प्राप्तियों और व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं डाला जा सकता है, के लेन-देन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में उचंत शीर्षों को प्रचालित किया जाता है

उचंत शीर्षों का विभिन्न सत्त्वों जैसे कि बैंकों, डीडीओ आदि द्वारा किये गये प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन अस्थायी रूप से बुक करने में भी उपयोग किया जाता हैं, और तब राशि को उचंत लेखे से सरकारी लेखाओं में सुसंगत

शीर्ष में हस्तांतरित किया जाता है जिन्हें सूचना के अभाव के कारण या किसी और कारण से प्राप्तियों और व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं डाला जा सकता है। उन्हें अन्तिम रूप से ऋणात्मक नामे या ऋणात्मक जमा द्वारा निपटाया जाता हैं जब राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष में डाला जाता है। यदि उचंत शीर्ष में राशि असमायोजित रह जाती है तो इन शीर्षों में शेष संचित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और प्रतिदायों का अवकथन होता है।

अप्रत्यक्ष कर की लेखांकन की नियमपुस्तिका (नियमपुस्तिका) के पैरा 12.11.4 कें अनुसार, प्र. सीसीए में आरबीआई नागपुर से पीटीएस की प्राप्ति पर, रिर्जव बैंक द्वारा सीबइईसी के खाते में कुल डेबिट/क्रेडिट राशि को हस्तांतरित करने के लिए, मुख्य शीर्ष **'8658**-उचंत लेखा- सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत' से ऋणात्मक नामे या ऋणात्मक जमा द्वारा जैसा भी हो, 'मुख्य शीर्ष 8675- रिजर्व बैंक के पास जमा' को एक हस्तांतरण प्रविष्टि को पारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उचंत शीर्ष भी ऋणात्मक नामे/जमा प्रविष्टियों द्वारा निपटाए जाने हैं।

लेखापरीक्षा ने प्र.सीसीएनई दिल्ली के अभिलेखों से देखा कि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान मुख्य शीर्ष '8658- उचंत लेखे' के तहत बकाया शेष थे। जैसा कि तालिका 4.3 में विवरण दिया गया है

तालिका 4.3: मार्च को मुख्य शीर्ष '865- उचंत लेखे' के तहत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
101 –पीएओ उचंत	58.41	जमा	31.80	जमा	19.67	जमा	18.60	जमा	21.90	जमा
102 – उचंत लेखा सिविल	1.22	नामे	1.51	नामे	2.31	नामे	1.55	नामे	0.39	नामे
108 – पीएसबी उचंत	209.36	नामे	504.54	नामे	784.12	नामे	517.42	नामे	433.46	नामे
138 – अन्य नामांकित बैंक उचंत	1.00	नामे	1.26	नामे	1.16	नामे	1.38	नामे	1.47	नामे

प्र. सीसीए को बकाया शेषों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया, किंतु वह मुहैया नहीं कराया गया और यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि कितने समय से उचंत लेखाओं में शेष लम्बित है। मद-वार ब्यौरे के बिना मिलान भी संभव नहीं है।

जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2014) प्र. सीसीए कार्यालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि उचंत शीर्ष से शेष के निपटान के लिऐ प्रयास किए जा रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि उचंत लेखे में प्रचालन एक चालू प्रक्रिया है क्योंकि विभिन्न शीर्षों के तहत उचंत शेष जुड़ते और निष्कासित होते रहते हैं। तथापि, बैंकों और कमिश्नरियों के बीच समनव्य से पुराने उचंत शेषों के निपटान के लिए प्रयास किए जायेगें।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि लम्बित उचंत शेषों के समय पर निपटान के लिए मद-वार ब्यौरे उपलब्ध होने चाहिए।

4.2.3.2 मुख्य शीर्ष 8670-चेक एवं बिलों के तहत बकाया राशि

नियम-पुस्तिका के पैरा 9.8.2 के अनुसार, साप्ताहिक आधार पर अर्थात प्रत्येक माह की 7वीं, 14वीं, 21वीं और 30वीं तिथि पर विभागीय अधिकारी एक भुगतानों की सूची (एलओपी) तैयार करेगा और इसे पदत्त प्रतिदाय वाउचरो के साथ पीएओ को भेजेगा।

उचंत नियमपुस्तिका (सीजीए द्वारा जारी) के पैरा 2.3 और 2.4 के अनुसार, माह के दौरान पीएओ द्वारा जारी चेको की कुल राशि और चेक आहरण डीडीओ द्वारा जारी चेक जो भुगतान सूची (एलओपी) से सत्यापित हो, मुख्य शीर्ष '8670- चेक एवं बिल' के तहत क्रमशः लघु शीर्ष '102- पीएओ चेक' और '103 – विभागीय चेक' में जमा किए जाऐंगे। इसी प्रकार, इलैक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किए गए भुगतान को '110- इलैक्ट्रॉनिक अंतरणों' और '111-पीएओ के इलैक्ट्रॉनिक अंतरणों' में जमा किया जायेगा। आगे नियम-पुस्तिका के पैरा 2.6 के अनुसार, एफपीबी से – तारीख-वार मासिक विवरण (डीएमएस)' प्राप्त करने पर, पीएओ, मिलाने के बाद, 8670 से 8658-उचंत लेखे के तहत राशि हस्तांतरित करने के लिए एक प्रविष्टि पारित करता है।

प्र. सीसीए, नई दिल्ली के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य शीर्ष '8670-चेक एवं बिल' के तहत बकाया शेष थे। जैसा कि तालिका 4.4 में ब्यौरा दिया गया है

तालिका 4.4 - मुख्य शीर्ष '8670- चेक एवं बिल' के तहत बकाया शेष-31 मार्च तक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
102 – पीएओ चेक	497.16	जमा	544.63	जमा	432.38	जमा	372.84	जमा	350.32	जमा
103 – विभागीय चेक	-1776.98	जमा	-1033.25	जमा	-131.55	जमा	-144.16	जमा	133.17	जमा
110 – इलैक्ट्रॉनिक अंतरण	-40.91	जमा	35.20	जमा	-114.93	जमा	13.10	जमा	-4.44	जमा

2013-14 में शीर्ष इलैक्ट्रॉनिक अंतरण- 8670 110 के तहत ₹ 4.44 करोड़ की राशि के लिए एक ऋणात्मक बुकिंग थी। यह ऋणात्मक बुकिंग, जारी एडवाइस के अधिक्य में भुगतान दर्शाती है। जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2014), प्र. सीसीए कार्यालय ने उत्तर दिया कि शीर्ष के तहत ऋणात्मक बुकिंग, कमिश्नरियों से भुगतानों की सूची (एलओपी) की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने भी 5 पीएओ[40] में एलओपी की प्राप्ति में विलम्ब देखा था।

उपरोक्त 102-पीएओ चेक एवं 103-विभागीय चैकों में जमा शेष दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रतिदाय का भुगतान चैको के माध्यम से किया जा रहा है और चेकों की एक बड़ी संख्या निर्धारिती के खाते में जमा हेतु लम्बित है। पैराग्राफ 2.1.3 और 2.1.4 में वर्णित, प्रतिदाय के ऑनलाइन भुगतान के लिए बोर्ड के अनुदेशों का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि प्रतिदाय में विलम्ब से बचने और निर्धारितियों से बातचीत करने के लिए चेकों द्वारा प्रतिदाय के भुगतान को बंद किया जाना चाहिए।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्तूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि आरटीजीएस द्वारा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्रतिदाय को पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है। चंडीगढ़ और राजकोट कमिश्नरियों ने भी इस संबंध में व्यापार नोटिस जारी किए थे और प्रणाली के आगे विस्तारण के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

4.2.4 (क) सरकारी खाते में बैंको द्वारा राजस्व के विलम्बित प्रेषण के लिए सॉफ्टवेयर में ब्याज दर का अद्यतन

नियम-पुस्तिका के पैरा 12.11.9 के अनुसार, सीएएस, आरबीआई, नागपुर के साथ राजस्व प्रेषणों के लेन-देन का निपटान शहर/समूह में टी[41]+3 कार्यकारी दिवस के अन्दर जहां संग्रहण करने वाली और एफपीबी शाखा उसी शहर/समूह, में स्थित है और बाहर के लेन-देनों के मामले में टी+5 कार्यकारी दिवसों के अन्दर पूरा किया जाना आवश्यक है ।

---

[40] मुम्बई II, मुम्बई III, कोची, कालीकट, एवं वापी

[41] टी वह दिनांक है जब शाखा में धन उपलब्ध हो

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी लेखा में राजस्व प्राप्ति की विलम्बित जमा पर ब्याज दर (बैंक दर +2%) के रूप में अधिसूचित[42] की थी। नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.14 में सरकारी खाते में राजस्व प्राप्ति की विलम्बित जमा पर ब्याज की दर, 01 जनवरी 2007 से प्रभावी 8% (तब बैंक दर 6% + 2%) के रूप में निर्धारित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, 01 जनवरी 2007 के बाद समय समय पर आरबीआई द्वारा बैंक दर संशोधित की गई है। जैसा कि तालिका 4.5 में वर्णित है :

तालिका 4.5: आरबीआई द्वारा बैंक दर में संशोधन

तारीख	बैंक दर	दिनांक	बैंक दर
09-अप्रैल-03	6	20-सितम्बर-13	9.5
13-फरवरी-12	9.5	07-अक्तूबर-13	9
17-अप्रैल-12	9	29-अक्तूबर-13	8.75
29-जनवरी-13	8.75	28-जनवरी-14	9
19-मार्च-13	8.5	15-जनवरी-15	8.75
03-मई-13	8.25	04-मार्च-15	8.5
15-जुलाई-13	10.25	02-जून-15	8.25

तथापि, प्र. सीसीए, सीबीईसी द्वारा जब भी बैंक दर संशोधत की गई थी, ब्याज दर में कोई संशोधन नहीं किया गया था और प्रणाली द्वारा 8% (6+2). की दर पर ब्याज की गणना की जा रही थी। इस प्रकार 13 फरवरी 2012 के आगे से ब्याज की घटी हुई दर पर गणना की जा रही थी।

यह भी देखा गया कि जनवरी 2007 के बाद प्रणाली में ब्याज के संशोधन के लिए, महा लेखानियंत्रक (सीजीए) द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया था।

4.2.4 (ख) सरकारी लेखा में राजस्व प्राप्तियों की विलम्बित जमा पर ब्याज की वसूली

पैरा 12.11.15 निर्धारित करता है कि पी-सीबीईसी सॉफ्टवेयर का विलम्ब निगरानी मॉड्यूल, संग्राहक बैकों द्वारा आरबीआई को राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब की और उस पर दंडस्वरूप ब्याज के उद्ग्रहण की स्वचालित रूप से गणना करता है। इस प्रणाली से, राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब से संबंधित, बैंक-वार और शाखा-वार रिपोर्ट अर्जित की जा सकती है। नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.7 में प्रावधान है कि प्र. सीसीए कार्यालय, नई दिल्ली का प्र.ले.अ. प्राधिकृत बैंको द्वारा सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के

[42] अधिसूचना सं. आरसीआई/2006-2007/235 डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-11763/42.01.011/2006-07 दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रेषण में विलम्ब और ऐसे विलम्बित प्रेषणों पर ब्याज की वसूली की निगरानी करता है।

प्र. सीसीए की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि प्र. सीसीए ने 29 बैंकों के संबंध में विलम्बित प्रेषणों पर पी-सीबीईसी द्वारा ₹ 59.84 करोड़ के दाण्डिक ब्याज की गणना की (अप्रैल 2014) और मांग की थी (अगस्त 2014)। (अक्तूबर 2014) तक ब्याज की कोई भी वसूली सूचित नहीं की गई थी।

जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2014), प्र.सीसीए ने उत्तर दिया (मई 2015) कि 27 बैंकों से ₹ 16.60 करोड़ के ब्याज की वसूली की गई थी और यह भी सूचित किया कि चार बैंकों ने ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने समय पर सरकार को राशि को प्रेषण किया था। प्र. सीसीए द्वारा बैंकों का दावा सही पाया गया था क्योंकि बैंको द्वारा मुहैया कराई गई गलत स्क्रोल तारीख के कारण ब्याज की गलत गणना की गई थी और उसे सॉफ्टवेयर में डाला गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की गलत गणना हुई।

आगे, प्रणाली में ब्याज दर के गैर-अद्यतन के कारण ब्याज की गणना घटी हुई दर पर की जा रही थी। यद्यपि लेखापरीक्षा विभेदक ब्याज को निर्धारित नहीं कर सका फिर भी प्र. सीसीए, 13 फरवरी 2012 के आगे से बैंकों से विभेदक ब्याज को निर्धारित और वसूल कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रणाली में ब्याज दर के अद्यतन और समय-समय पर ब्याज दर के संशोधन के कारण पिछली अवधि के लिए बैंको से शेष ब्याज की वसूली के लिए बोर्ड को अनुदेश जारी किए जाने।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) आरबीआई द्वारा आवधिक तौर पर संशोधित, प्रयोज्य बैंक दर को सम्मिलित करने हेतु आशोधन करने के लिए, विलम्ब की निगरानी के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की समीक्षा की जा रही थी। इसने आगे बताया कि विलम्ब को न्यायसंगत करने के लिए बैंक द्वारा किया गया अभ्यावेदन जांच के तहत था और तदनुसार वसूली की जाएगी।

लेखा परीक्षा प्रगति की निगरानी करेगा।

4.3 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अनिर्वाय प्रक्रिया है जो जोखिम को संबोधित करती है और प्रणाली एवं पद्धतियों के लिए प्रभावकारिता और पर्याप्तता के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती है।

4.3.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन

नियमपुस्तिका के पैरा 3.2.2 (vi) के अनुसार प्र. सीसीए, सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों के मुख्यालय, मंडल और रेंज स्तरों एवं भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) सहित अधीनस्थ प्राधिकरणों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 46 पीएओ में से वर्ष 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए 20 पीएओ[43] की प्र. सीसीए द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आगे, उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में, तीन वर्षों के दौरान, नौ कमिश्नरियों[44] की भी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए रेंज आफिस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आंतरिक लेखापरीक्षा का असंचालन अनियमितताओं, असंगतियों तथा प्रणालीगत गलतियों पर ध्यान न जाने में परिणत हो सकता है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अप्रैल 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि सीमित संसाधनों के कारण सभी कमिश्नरियों की आंतरिक लेखापरीक्षा संभव नहीं थी क्योंकि हाल ही में अधिक कमिश्नरियों का गठन किया गया था, संसाधनों को बढाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग एवं बोर्ड को भेजा जाएगा तथा नियमित आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाएगा।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों की जांच अनुवर्ती लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.3.2 प्रत्यक्ष माध्यम द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अनुसार, एक निर्धारिती को, जिसने पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख[45] या अधिक के शुल्क, सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान शुल्क की राशि सहित, का भुगतान किया है, तत्पश्चात अनिवार्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक रुप में इंटरनेट बैंकिंग के

---

[43] भुवनेश्वर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद, वापी, जयपुर, भोपाल, राजकोट, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ-I, चंडीगढ-II, मुम्बई-II, मुम्बई-III, नासिक, रायपुर, कोलकाता, डिब्रूगढ़, जमशेदपुर, रॉची

[44] पश्चिमी जोन (थणे-I, थणे-II, बेलापुर, रायगढ़, मुम्बई-I, नासिक), उत्तर जोन (इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ)

[45] 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी अधिसूचना सं. 4/2010-केन्द्रीय उत्पाद (एनटी), दिनांक 19 फरवरी 2010 द्वारा

माध्यम से शुल्क जमा कराना होगा। 1 जनवरी, 2014[46] से प्रभावी कुल शुल्क भुगतान राशि, और अधिक घटाकर ₹ 1 लाख कर दी गई थी। अक्तूबर 2014 से इलैक्ट्रॉनिक भुगतान सभी निर्धारितियों के लिए, शुल्क भुगतान की राशि पर ध्यान दिए बिना, अनिवार्य कर दिया गया था।

चयनित कमिश्नरियों में नमूना जांच से पता चला कि 22 कमिश्नरियों[47] में 219 निर्धारितियों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान इलैक्ट्रॉनिक रुप में जमा कराने की बजाए प्रत्यक्ष माध्यम से किए तथा विभाग ने इस अनिवार्य प्रावधान को लागू करने के लिए कोई कदम लेने की शुरूआत नहीं की। यह भी देखा गया कि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने का, जैसा सेवाकर[48] में विद्यमान है, कोई प्रावधान नहीं है।

हमने इसे अगस्त से अक्तूबर 2014 के बीच बताया।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क भुगतान करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश दिया गया था तथा तब से सभी निर्धारिती ई-पेमेंट के माध्यम से शुल्क भुगतान कर रहे है।

दमन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारितियों को प्रत्यक्ष माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

वापी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क भुगतान शुरू कर दिया था तथापि पहले की अवधि के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर I तथा II कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा।

दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि नेट बैंकिंग सुविधा की अनुपलब्धता के कारण निर्धारिती भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से नहीं कर सके। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क के अनिवार्य भुगतान के लिए आवश्यक प्रबंध करने के विषय में निर्धारितियों को शिक्षित करना विभाग का उत्तरदायित्व था।

---

[46] अधिसूचना संख्या 15/2013-सीई (एनटी) दिनांक 22 नवम्बर 2013 द्वारा

[47] हैदराबाद-I, हैदराबाद-III, तिरूपति, बोलपुर, कोलकाता-VI, कोलकाता-II, कोलकाता-V, ठाणे-I रायगढ़, इलाहाबाद, राजकोट, अहमदाबाद-II वापी, दमन, जयपुर-I, जयपुर-II, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर -II दिल्ली, भेपाल, इंदौर और रायपुर

[48] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1) (डी) के द्वारा ₹ 10,000 की शास्ति

मंत्रालय ने आगे कहा (अक्तूबर 2015) कि अहमदाबाद ।। कमिश्नरी में, मैसर्स वाईटल टेक्नोप्लास्ट ने प्रत्यक्ष माध्यम के द्वारा शुल्क जमा किया था परन्तु यह एसीईएस में ऑनलाईन पेमेंट के रूप में प्रतिबिंबित हुआ तथा इस कारण से एसीईएस की गलती में सुधार करने के लिए आर्शोधन की आवश्यकता है। इसने यह भी कहा कि वापी दमन हैदराबाद-। तथा ।। कमिश्नरियों में निर्धारितियों के विरूद्ध एससीएन जारी किए गए तथा उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क जमा करना शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसित किया कि बोर्ड सेवाकर के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(डी) के अन्तर्गत प्रावधान की तर्ज पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के इलैक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की असफलता के लिए शास्ति को शामिल करने पर विचार करे।

अनुशंसा पर, मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय उत्पाद नियमावली 2002 के नियम 27 में पहले से ही ₹ 5,000 की एक सामान्य शास्ति है जिसे ऐसे मामलों में भी उपयोग किया जा सकता है तथा नयी शास्ति आवश्यक नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेवाकर में भी सामान्य शास्ति उपलब्ध है परन्तु वहां आनलाईन भुगतान में असफलता की अवस्था में विशिष्ट शास्ति है। इसके अलावा व्यवहार में, न तो निर्धारिती जानते है कि आनलाईन भुगतान न करने पर सामान्य शास्ति लगाई जा सकती है, और न ही विभागीय अधिकारी ऐसी चूक के मामलों में सामान्य शास्ति लगाते है। मंत्रालय को या तो विशिष्ट शास्ति लागू करने की आवश्यकता है या ऐसी चूको में सामान्य शास्ति लगाने की विभाग को हिदायत दी जाए।

4.3.3 प्रतिदाय दावे का सीधे निर्धारिती /निर्यातक बैंक खाते की बजाए चैक के माध्यम से भुगतान

सीबीईसी ने सलाह[49] दी थी कि निर्धारिती को प्रतिदायों का भुगतान आदाता खाता चैक के माध्यम से करने की प्रथा पुरानी हो गई है तथा निर्धारितियों को अनुचित कठिनाई के साथ बहुत अधिक कागजी कार्यवाही को अपरिहार्य बनाती है तथा प्रतिदाय दावा राशि को सीधे संबंधित निर्धारितियों/निर्यातकों के बैंक खाते में हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्था तथा तंत्र बनाने की व्यवस्था की जाये।

[49] पत्र एफटीएस सं. 171722/2012 दिनांक 9 अक्तूबर 2012 द्वारा

लेखापरीक्षा ने देखा कि तिरूपति कमिश्नरी की कडापा डिवीजन में, बोर्ड के पूर्वोक्त अनुदेशों के विपरीत ₹ 2.43 करोड़ के समतुल्य प्रतिदाय दावों का भुगतान आदाता खाता चैकों के माध्यम से किया गया।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2014) तथा सूचित किया कि भविष्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि प्रतिदाय के इलैक्ट्रॉनिक भुगतान तथा सही और समय पर लेखांकन के लिए ई-पीएओ (प्रतिदाय) के सृजन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

4.3.4 एकल हस्ताक्षर के साथ दस लाख या अधिक के प्रतिदाय चैक को जारी करना

सीएएम के पैरा 3.5.1(viii) के अनुसार, ₹ 10 लाख तथा अधिक के सभी जारी चेको पर दो हस्ताक्षर होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए लेखांकन संगठन का प्रमुख, दूसरे हस्ताक्षकर्त्ता[50] के रूप में दूसरे राजपत्रित अधिकारी/वरिष्ठतम गैर-राजपत्रित अधिकारी को मनोनीत करेगा।

आगे, नियमपुस्तिका के पैरा 9.4.2 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि केन्द्रीय सरकारी लेखांकन (रसीद एवं भुगतान) नियमावली, 1983 तथा सीएएम के पैरा 3.5.1 में निहित निर्देशों का, विभागीय अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिदायों के भुगतान के चैक जारी करने के संबंध में, सावधानीपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए।

लेखापरीखा ने देखा कि पीएओ भोपाल में, ₹ 10 लाख तथा अधिक के लिए तैयार सभी चैक उक्त प्रावधान के विपरीत दो हस्ताक्षरों की बजाए एक हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए थे।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014), पीएओ भोपाल ने इस आपत्ति (जुलाई 2014) को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि दूसरे हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में एक और राजपत्रित अधिकारी के मनोनयन के द्वारा आवश्यक प्रबंध करने के लिए कमिश्नरी को लेखापरीक्षा समीक्षा भेजी गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि ₹ 10 लाख तथा अधिक की राशि के चैको पर दो हस्ताक्षर की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए यह मामला चैक पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी तथा बैंको के साथ उठाया गया था।

---

[50] ओ.एम.सं. 1(3)/95/टीए/पीटी फाईल/578 दिनांक 27 जुलाई 1998

4.3.5 बकाया चेकों की सूची की आपूर्ति

नियमपुस्तिका के पैरा 10.17 के अनुसार, एक चेक लिखने वाला हर महीने के अन्त में चेक भुगतान रजिस्टर से बकाया चेको की सूची तैयार करता है। बैंक से भुनाए गए चेकों का दैनिक विवरण प्राप्त किया जाता है तथा विवरण, चेक भुगतान रजिस्टर के प्रासंगिक कॉलमों के सामने प्रविष्ट किए जाते है। मद जिनके सामने कोई प्रविष्टि नहीं होती वो बकाया बन जाती है तथा ऐसे मदों को एक वक्तव्य के रूप में चयनित तथा एक साथ लाया जाता है तथा एक जोड़ किया जाता है जो कि चेक भुगतान रजिस्टर में ही पहले से तैयार आंकडों के साथ सत्यापित किए जाते है। सहमति के बाद सूची को हस्ताक्षर के लिए सीएओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुमोदन के बाद, पीएओ को भेजने के लिए इसे मासिक नकदी खातों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि 15 पीएओ[51] में विभाग की ओर से बकाया चेकों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी तथा इसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014 से अप्रैल 2015) पीएओ तिरूपति एवं हैदराबाद ने सूचित किया कि प्रत्येक महीने की समाप्ति पर बकाया चेकों की सूची प्रदान करने के लिए विभाग के साथ यह मामला उठाया जाएगा। दूसरे पीएओ से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि संबंधित डीडीओ को बकाया चेकों की सूची पीएओ को भेजने के लिए कमिश्नरियों द्वारा अनुदेश जारी किए जा रहे है। आगे यह बताया गया कि पीएओ से संबंधित समीक्षाओं में इसके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। प्र. सीसीए से उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 2015)।

4.3.6 एफपीबी से 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्र की प्राप्ति

नियमपुस्तिका के पैरा 6.11.1 (जे) के अनुसार अगले महीने के अन्तिम कार्य दिवस पर संबंधित पीएओ को एक मासिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह सत्यापित करेगा कि इसके नियंत्रण की शाखाओं में या इसके तथा संग्रह शाखाओं के बीच में कही पाईपलाइन में एकत्रित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, तथा सीमाशुल्क की 'शून्य' मात्रा पडी है।

---

[51] हैदराबाद, तिरूपति, कोच्ची, कोयम्बेटूर, पीएओ (राजस्व) कोलकाता, वापी-दमन, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, जमशेदपुर और रांची

हमने 20 पीएओ[52] में देखा कि एफपीबी ने मासिक नामावली के साथ ऐसा लम्बन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अक्तूबर 2014) 16 पीएओ ने सूचित किया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015) किया कि नियमित रूप से विवरण भेजने के लिए संबंधित एफपीबी के साथ मामला उठाया जाएगा। बोलपुर, डिब्रूगढ़, रांची तथा जमशेदपुर के पीएओ की ओर से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

मंत्रालय ने भी कहा (अक्तूबर 2015) कि बैंको से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पीएओ कार्यवाही कर रहे है।

4.3.7 शाखा नामावलियों के प्रस्तुतीकरण में देरी

नियमपुस्तिका के पैरा 6.8 के अनुसार, प्राप्ति बैंक शाखा को उन सभी चालानों की पहचान करना जिनका भुगतान उस दिन के लिए नकद में हुआ है, या जिसके लिए भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा संपादित किया गया है, इलैक्ट्रॉनिक फाईल, जिसमें सभी चालान विवरण जिनका उसी दिन भुगतान संपादित कर दिया गया है, को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से एफपीबी को संचारित करना होता है। तथापि, प्रत्यक्ष नामावली तथा अंतर्निहित चालानों को मुख्य नामावली की तैयारी के लिए एफपीबी को प्रेषित किया जाता है। अगले कार्य दिवस की शुरूआत में प्राप्ति शाखा संबंधित चालानों के साथ-साथ शाखा नामावली की दो प्रतियां निर्दिष्ट एफपीबी को एक अग्रेषण ज्ञापन के साथ प्रेषित करेगी। आगे, एफपीबी को अगले कार्य दिवस पर शाखा नामावली, चालानों के साथ पीएओ को प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएओ तिरूपति को कॉर्पोरेशन बैंक से शाखा नामावली, महीने के दौरान लेने-देन के लिए, महीने के अन्त में प्राप्त हुई। इसी प्रकार, पीएओ भुवनेश्वर में, हमने 62 मौको पर यूको बैंक द्वारा शाखा नामावली के प्रस्तुतीकरण में देरी का अवलोकन किया।

जब हमने इसे बताया (जुलाई तथा अक्तूबर 2014), दोनों पीएओ ने उत्तर दिया (जुलाई तथा अक्तूबर 2014) कि इस मामले को बैंक शाखओं के साथ कई बार उठाया गया तथा प्र. सीसीए, नई दिल्ली को भी सूचित किया गया। तथापि, बैंको ने नामावली के प्रस्तुतीकरण में देरी को जारी रखा। पीएओ ने

[52] हैदराबाद, तिरूपति, भुवनेश्वर, दिल्ली, भोपाल, कोचीन, कालीकट, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, बोलपुर डीब्रूगढ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, रांची, जमशेदपुर, अहमदाबाद, राजकोट, वापी तथा जयपुर

बताया कि नामावलियों के समय से प्रस्तुत करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि पीएओ तिरूपति में नामावली दैनिक आधार पर प्राप्त हो रही है। दूसरे पीएओ के लिए, यह कहा गया कि प्र. सीसीए द्वारा विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी।

4.3.8 बैंक नामावली के रजिस्टर तथा खोये चालानों के रजिस्टर का रख-रखाव

नियमपुस्तिका के पैरा 12.2 के अनुसार, बैंक नामावली की समय पर प्राप्ति तथा निपटान को देखने के लिए पीएओ के कार्यालय में एक बैंक नामावली का रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। यह रजिस्टर प्रतिमास बन्द होना चाहिए तथा तिथि जिसके लिए नियमित नामावली बैंक से प्राप्त नहीं हुई तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई को सूचित करने वाली रिपोर्ट पीएओं को प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार, खोये या लापता चालान के लिए रजिस्टर भी निर्धारित प्रारूप में बनाए रखने की आवश्यकता है तथा अगले महीने की 10 तारीख तक बन्द किया जाना चाहिए।

हमने चार पीएओ[53] में अवलोकन किया कि बैंक नामावली का रजिस्टर तथा खोए चालानों का रजिस्टर दोनो नहीं बनाए गए थे। पांच पीएओ[54] में बैंक नामावली का रजिस्टर बनाया गया परन्तु खोए चालानों का रजिस्टर नहीं बनाया गया। ऐसे रजिस्टर का गैर रख-रखाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी दर्शाता है।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2014 से अप्रैल 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि कुछ पीएओ में कर्मचारियों की कमी के कारण रजिस्टर नहीं बनाए गए तथा वह अब बनाए जा रहे है।

4.3.9 (i) एकल डाटा एंट्री आपरेटर द्वारा राजस्व प्राप्ति तथा प्रतिदाय भुगतानों का संकलन

नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.1 के अनुसार, पीएओ द्वारा प्राप्त किए गए चालानों के साथ-साथ शाखा नामावली को उसके कम्प्यूटर सिस्टम में राजस्व लेखांकन सॉफ्टवेयर 'काम्पैक्ट (रिवेक्ट)' के प्रयोग द्वारा संकलित किया जाएंगा। नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.2 के अनुसार चालान डाटा के सही अभिग्रहण को निश्चित करने हेतु दो अलग डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा मुख्य

---

[53] दिल्ली, भोपाल, जमशेदपुर, रांची

[54] वापी-दमन अहमदाबाद, रायपुर, हैदराबाद, मुम्बई II (राजस्व)

नामावली (एफपीबी), शाखा नामावली तथा अन्तर्निहित चालानों की प्रविष्टि कॉम्पैक्ट (रिवेक्ट) में सेट । व सेट ।। के रूप में की जाती है । जब तक दस्तावेजों के इन दो सेटों का मिलान नहीं किया जाता तब तक सिस्टम डीईओ को मुख्य नामावली को समेकित करने तथा सेट ।। डीईओ को अग्रेषित करने की अनुमति नहीं देता । साथ ही यदि सेट । तथा सेट ।। द्वारा प्रविष्ट डाटा के बीच में अन्तर हो तो सिस्टम इसे एएओ/पीएओ को दस्तावेजों की प्रत्यक्ष जांच के लिए भेज देता है। त्रुटि की पहचान के बाद एएओ/पीएओ द्वारा अन्तिम संकलन के लिए स्वीकृति से पहले फिर से डीईओ के पास आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भेजा जाता है।

हमने पांच पीएओ (भोपाल, बोलपुर, रायपुर, रांची तथा जमशेदपुर) में अवलोकन किया कि केवल सेट-। ग्राहक के माध्यम से ही डाटा दर्ज कराया गया था। क्योंकि डाटा सेट-।। ग्राहक के माध्यम से दर्ज नहीं हुआ, सेट-।। ग्राहक द्वारा सत्यापन भी नहीं हुआ था जिसने मासिक लेखांकन की विश्वसनीयता को प्रभावित किया।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अगस्त 2014) पीएओए ने आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई से अगस्त 2014)।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओ पर राजस्व लेखांकन प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए विचार किया जाएगा।

4.3.9 (ii) सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की नमूना जांच का प्रबंध

नियमपुस्तिका के पैरा सं. 12.8.1 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों तथा प्रतिदायों की संकलन शीटों की सीएएम के पैरा 5.4.6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सहायक लेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओएस) द्वारा काम्पैक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्ट डाटा की, स्वीकृति के समय पर नमूना जांच की जाएगी। प्र. सीसीए, सीबीईसी के पत्र सं. सीओ ओआरडी/1(5)/जीईएन पॉलिसी/93/532, दिनांक 3 सितम्बर 2002 द्वारा नमूना जांच के लिए निर्धारित सीमाएं निम्नलिखित है:

- सहायक लेखा अधिकारी- ₹ 25,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालान।
- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी- ₹ 1,00,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालान।

लेखापरीक्षा ने पीएओ रायपुर में देखा कि सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) में डाटा की प्रविष्टि से पहले या तो सहायक लेखा अधिकारी द्वारा या लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कोई नमूना जांच नहीं की गई।

यह भी देखा गया कि कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में ₹ 1,00,000 तथा अधिक की राशि के सभी चालानों के लिए वरिष्ठ लेखाअधिकारी/पीएओ स्तर पर नमूना जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से नमूना जांच के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधन की अनुपस्थिति में, प्र. सीसीए, के निर्देशों का अनुपालन संभव नहीं था।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014) पीएओ रायपुर ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि कर्मचारी, कार्यालय कार्य की अधिकता से बोझिल है तथा ऐसे नमूना जांच नहीं कर सकते। पीएओ मुम्बई ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर केवल सहायक लेखा अधिकारी स्तर पर स्वीकृति के लिए उपलब्ध है तथा पीएओ स्तर पर नही।

तथापि, बैंको तथा विभागों के बीच में शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान तथा डाटा के हस्तांतरण की दृष्टि से, बोर्ड को विश्लेषण करना चाहिये कि क्या ये निर्देश प्रासंगिक है या नही। निर्धारितियों द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान को समाप्त करने के लिए निर्धारितियों के लिए दंड प्रावधान भी बनाए तथा लागू किए जा सकते है।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि भारी कार्यभार के कारण राजस्व प्राप्तियों की नमूना जांच तथा प्रतिदाय संचालन नहीं किया जा सका था। तथापि, ऐसी जांचो को सुगम बनाने के लिए प्रबंध किए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय को जाँच करनी चाहिए कि क्या ये निर्देश अभी भी प्रासंगिक हैं।

4.3.10 पीएओ में कुल राजस्व तथा निर्धारिती वार विवरण का न मिलना

नियमपुस्तिका के पैरा 12.1 के अनुसार, सॉफ्टवेयर पैकेज कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) के प्रयोग द्वारा प्रत्येक पीएओ, अपने लेखांकन अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कमिश्नरियों के लिए प्रतिदायों, छूट तथा कमियों के कारण राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। आगे, नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार पीएओ संबंधित कमिश्नरियों के सीएओएस को एक निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि मिलान उद्देश्य के लिए रिवेक्ट सॉफ्टवेयर निर्धारिती वार राजस्व संग्रहण की सही सूचना दिखाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ अहमदाबाद में, 2010-11से 2013-14 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क/सेवा कर के ₹ 1,556.38 करोड़ की सकल प्राप्ति के विरूद्ध निर्धारिती वार खाता बही ने ₹ 1,538.04 करोड़ की राशि सृजत की जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती वार खाताबही में ₹ 18.34 करोड़ कम दिखाया गया।

इसी प्रकार, पीएओ वापी में यह देखा गया कि 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क/सेवाकर के ₹ 523.64 करोड़ की सकल प्राप्ति के विरूद्ध निर्धारिती वार खाता बही ने ₹ 514.38 करोड़ की राशि सृजित की जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती वार खाता बही में ₹ 9.26 करोड़ कम दिखाया गया।

वास्तविक प्राप्तियों तथा निर्धारिती वार खाता बही प्राप्तियों के बीच के अन्तर का मिलान करने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्धारिती वार आंकडे मिलान के लिए कमिश्नरियों को भेजे जाते है। अशुद्धि के विश्लेषण से पता चला कि गलती, एसीईएस/एनएसडीएल के अनुसार सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में निर्धारिती के मास्टर डाटा के गैर-अद्यतन के कारण हुई जिसके कारण निर्धारितियों के भुगतान, जो सीओएम कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) के मुख्य डाटा में नहीं पाए गए थे, निर्धारितियों की खाता बही में प्रदर्शित नहीं हुए।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर से अक्तूबर 2014) मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि समस्या कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर से संबंधित है तथा कॉम्पेक्ट (रिवेक्ट) सॉफ्टवेयर में उक्त सुधार के लिए सक्षम प्राधिकरी से सम्पर्क किया जाएगा। इसने आगे कहा कि पीएओ वापी के संबंध में उत्तर प्र. सीसीए द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग - ख

सेवा कर

4.4. सेवा कर का लेखांकन

शुल्क संग्रहण की निष्पक्ष तस्वीर के लिए सेवा कर का उचित लेखांकन आवश्यक है। हमने सेवा कर में लेखांकन की निम्नलिखित असंगतियों को देखा।

4.4.1 सेवा कर प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व, सरकारी खाते में विधिवत जमा किया गया है, राजस्व प्राप्तियों का उचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर प्रणाली में कुछ कमियों के साथ-साथ प्रक्रिया में विसंगतियों को भी देखा गया जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है।

4.4.1.1 कमिश्नरियों द्वारा सेवा कर का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 12.10.1 के अनुसार पीएओ संबधित कमिश्नरी के सीएओ को एक निर्धारिती वार संकलन रिपोर्ट उपलब्ध करएगा। सीएओ इसे संबंधित डिवीजन/रेंज अधिकारियों में वितरित करेगा। बदले में रेंज अधिकारी इसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रतिदायों के साथ तुलना करेगा तथा सीएओ को प्रस्तुतीकरण के लिए एक मासिक विवरण तैयार करेगा। सीएओ असंगतियों को 'कम जमा' तथा 'अधिक जमा' के रूप में अभिलिखित करेगा तथा एक प्रति पीएओ को अग्रेषित करेगा। अधिक जमा के मामले में सीएओ संबधित रेंज अधिकारियों से आवश्यक पत्रव्यवहार करता है तथा पीएओ 'कम जमा' के मामले में केन्द्र बिन्दु शाखा के साथ बातचीत करता है।

सीबीईसी के निर्देश[55], के अनुसार रेंज अधिकारी, निर्धारिती से प्राप्त टीआर-6/जीएआर-7 चालानों का मासिक विवरण तैयार करता है तथा बैंको से प्राप्त चालान की प्रतियों के साथ मिलान करता है तथा सीएओ को रिर्पोट भेजता है।

इस संबंध में हमने निम्नलिखित असंगतियों का अवलोकन किया:

(i) 39 कमिश्नरियों में, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए, सेवा कर राजस्व का मिलान पीएओ आंकडो के साथ नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 3,01,436 करोड़ की सेवा कर प्राप्तियां मिलान हुए बिना रही।

---

[55] निर्देश सं. 224/37/2005 ई एक्स -6 की क्रम सं. 14.1 दिनांक 24 दिसम्बर 2008

लेखापरीक्षा ने सात कमिश्नरियों का डाटा संग्रहीत किया जहां मिलान नहीं किया गया था तथा पीएओ/ई-पीएओ की राजस्व प्राप्तियों की विभागीय आंकडों से तुलना से ₹ 1,088.89 करोड़ के 'कम जमा' तथा ₹ 37.74 करोड़ के 'अधिक जमा' का पता चला।

हमने इसे बताया (जून से अक्तूबर 2014) तथा 39 कमिश्नरियों ने निम्नलिखित उत्तर दिये (जून से दिसम्बर 2014):

10 कमिश्नरियों[56] ने गैर मिलान के तथ्य को स्वीकार किया।

पांच कमिश्नरियों[57] ने कहा कि पीएओ तथा ई पीएओ से निर्धारिती-वार संकलन रिपोर्टों की गैर प्राप्ति के कारण मिलान पूर्ण नहीं किया जा सका।

कोलकाता एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (2014 सितम्बर)कि निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्ट पीएओ से प्राप्त की गई थीं लेकिन रेंज अधिकारियों को अग्रेषित नहीं की गई थीं।

चंडीगढ़ II कमिश्नरी ने उत्तर दिया (2014 जुलाई) कि पीएओपीएओ से -ई/ रडाटा की प्राप्ति प, उक्त को रेंजडिवीजन को भेज दिया गया था परन्तु / मिलान रिपोर्ट आज तक भी प्राप्त नहीं हुई ।

नौ कमिश्नरियों[58] ने उत्तर दिया कि मिलान प्रक्रियाधीन था।

चार कमिश्नरियों[59] ने उत्तर दिया कि मिलान, कमिश्नरियों में सीएओ के गैर-कार्य न करन/संस्वीकृति के कारण नहीं किया गया था।

बैंगलुरू एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि एसीईएस के प्रारंभ करने के बाद, पीएओ द्वारा बैंक के साथ मिलान किया जा रहा था और कमिश्नरी द्वारा कोई अन्य मिलान नहीं किया गया था। राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि रेंज अधिकारी एसीईएस में उपलब्ध डाटा के साथ प्रतिदायों का मिलान कर रहे थे और सीएओ/पीएओ से चालानों का सत्यापन आवश्यक नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पीएओ/ई-पीएओ का डाटा सीएओ के पास उपलब्ध नहीं था और अगस्त 2014 के महीने हेतु ई-पीएओ चेन्नै से प्राप्त किया गया डाटा सत्यापन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया था।

---

[56] मुम्बई एसटी I, एसटी II, इलाहाबाद, कोचीन, भुवनेश्वर I,II, नासिक रायगढ़, मुदुरै तथा कालीकट

[57] चंडीगढ़ I, रायपुर, हल्दिया, पंचकुला तथा डिब्रूगढ

[58] पुदुच्चेरी, तिरुनेलवेली, कोयम्बेतूर, चेन्नई एसटी, गाजियाबाद, जयपुर, I, II, वापी और दमन

[59] भोपाल, दिल्ली एलटीयू, इंदौर और मेरठ

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमपुस्तिका का पैरा 12.3.4 स्पष्टत: यह दर्शाता है कि ई-पीएओ (ऑनलाईन भुगतान के मामले में) विभागीय मिलान के लिए प्रत्येक महीने कमिश्नरी को निर्धारिती-वार भुगतान/चालान विवरण भी भेजेगा और पैरा 12.10.1 के अनुसार, कमिश्नरी को पीएओ के साथ राजस्व का मिलान करना होगा। सात कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मिलान और कम/अधिक क्रेडिट के रूप में त्रुटियां, मिलान प्रक्रिया की आवश्यकता को दर्शाती है।

तिरूपति कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए पीएओ के साथ राजस्व विवरण मिलान के लिए निर्देश दिये गये थे परंतु बहुत कम रेंज कार्य कर रहे थे। सेवा कर के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि रेंज अधिकारियों द्वारा मिलान किया गया था और सीएओ को किसी त्रुटि के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई रेंजों ने बताया कि निर्धारितियों द्वारा भुगतान किये गये किन्हीं अलग-अलग चालानों के समेकित विवरण प्राप्त करने के लिए रेंज कार्यालय के पास कोई तंत्र/प्रणाली नहीं थी जो यह दर्शाता है कि रेंज कार्यालयों के पास पीएओ/ई-पीएओ डाटा मिलान के लिए नहीं भेजा गया था।

पांच कमिश्नरियों[60] से उत्तर प्रतीक्षित (मई 2015) था।

कमिश्नरियों से विभिन्न उत्तर दर्शाते हैं कि मिलान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के विचार अलग हैं और कार्य नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उचित निर्देशों के साथ मामले को स्पष्ट किया जाये और मिलान प्रक्रिया की उचित निगरानी करने के लिए प्रबंधन किया जाये।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि मिलान की वर्तमान प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और निर्मित विलम्ब शामिल होते हैं और मुख्यालय से इनकी निगरानी नहीं की जा सकती और उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता तथा सुधार के लिए पुन:समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। यह भी स्वीकार किया गया कि दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के बोर्ड के दिशा-निर्देशों और नियमपुस्तिका में बताये अनुसार सेवा कर का मिलान समय पर और

[60] हैदराबाद II, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली एसटी और मैसूर

नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि प्रणाली की पुन: समीक्षा की जाएगी और मिलान की पूर्णता के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। मिलान प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन और निगरानी करने के लिए निर्देश भी जारी किये जाएगें।

(ii) हमारे द्वारा कमिश्नरी में पीएओ आंकड़ों के मिलान में विलम्ब भी देखा गया। हैदराबाद I, III और बोलपुर कमिश्नरियों में, विलम्ब 16 से 66 महीनों की रेंज के बीच था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: मिलान में विलम्बों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	कमिश्नरी	जहां तक मिलान पूर्ण किया गया	महीनों में विलम्ब (दिसम्बर 2014 तक)
1	हैदराबाद –I	अगस्त 2013	16
2	हैदराबाद-III	मई 2013	19
3	बोलपुर	जून 2009	66

जब हमने यह बताया (अगस्त से नवम्बर 2014 के बीच), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि हैदराबाद I और III कमिश्नरियों में क्रमश: नवम्बर 2013 और अगस्त 2013 तक मिलान पूरा किया जा चुका था और यह आगे की अवधि हेतु किया जा रहा था। बोलपुर कमिश्नरी में, पीएओ से डाटा की प्राप्ति पर मिलान आरंभ किया जा चुका था।

4.4.1.2 दिनांक-वार मासिक विवरण (डीएमएस) और पुट-थ्रू विवरण (पीटीएस) के बीच विसगंतियां

नियमपुस्तिका के पैरा 6.12.3 के अनुसार, एफपीबी संबंधित पीएओ को प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक महीने के अंत में मासिक आधार पर डीएमएस तैयार करेगा। नियमपुस्तिका का पैरा 6.15 दर्शाता है कि सीएएस, आरबीआई, नागपुर सरकारी खातें में डाली गई राशि के लिए बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्ष-वार विवरण तैयार करेगा और उक्त को पीएओ और संबंधित बैंक की लिंक सेल को प्रस्तुत करेगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 के अनुसार, संबंधित पीएओ और एफपीबी, डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान हेतु उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने मुंबई ई-पीएओ और तिरूपति पीएओ में पीटीएस के साथ डीएमएस के मिलान में पाई गई त्रुटियों के गैर-संशोधन का अवलोकन किया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7 - 31.03.2014 को डीएमएस और पीटीएस के बीच विसंगतियां

(₹ लाख में)

कमिश्नरी/पीएओ	प्राप्तियां		भुगतान	
	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक
ई-पीएओ मुंबई	573.87	0	0	0
तिरूपति	12.24	16.68	9.97	0
कुल	**586.11**	**16.68**	**9.97**	**0**

प्राप्ति पक्ष में, डीएमएस में अधिक राशि प्राधिकृत बैंकों से निर्धारितियों द्वारा ₹ 586.11 लाख की सेवा कर राशि के भुगतान, परंतु उक्त राशि सरकारी खाते में जमा नहीं किये जाने की संभावना को दर्शाता है ।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2014 और अक्टूबर 2014), ई-पीएओ (सेवा कर), नई मुंबई ने आपत्ति (जुलाई 2014) को स्वीकार किया और सूचित किया कि यह मामला बैंको के पास पत्राचार के अंतर्गत है। पीएओ तिरूपति ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि विभिन्नताओं के निपटान के किए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान के लिए पीएओ और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है और प्रणाली को बैंकों के नये निर्देश जारी करके सुदृढ़ किया जाएगा।

4.4.1.3 एनएसडीएल वैबसाईट पर चालान का नहीं पाया जाना

नियमपुस्तिका के पैरा 6.5.4 के अंतर्गत अनुबंध 6.3 के अनुसार, बैंक दैनिक रूप से इजीएस्ट प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किये गये करों के चालान डाटा को अपलोड करेंगे। एनएसडीएल की केंद्रीय प्रणाली बैंकों द्वारा अपलोड किये गये फाइल संरचना की जांच करेगी और सही पाये जाने पर अगले दिन सीबीइसी को समेकित डाटा भेजगी। सीबीइसी एनएसडीएल वैबसाईट, बैंक में जमा चालानों की ऑनलाईन स्थिति को ट्रैक करने के लिए, चालान पहचान संख्या प्रदान करता है।

रेंज में चालान विवरणों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि दो कमिश्नरियों[61] के अंतर्गत चार रेंजों में ₹ 5.49 करोड़ राशि वाले 13 चालान विभागीय अभिलेखों के अनुसार वसूले गये दर्शाये गये परन्तु एनएसडीएल वैबसाईट पर ये चालान नहीं पाये गये।

[61] दिल्ली एसटी और कोलकाता एसटी

आगे की संवीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 1.57 करोड़ राशि के छः चालानों के संबंध में, एसीईएस द्वारा विसंगतियां पाई गई और उनकी समीक्षा भी की गई। तथापि, एनएसडीएल वैबसाईट पर ये चालान ट्रेस नहीं (मई 2015) किये जा सके। ₹ 392.23 लाख राशि के सात चालानों के मामले में, एसीईएस विसंगतियां नहीं पकड़ सका।

जब हमने अगस्त से अक्टूबर 2014 के बीच इसे इंगित किया, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि सीबीईसी और प्र.सीसीए की सिस्टम टीम द्वारा एनएसडीएल सहित बैंकों के साथ मामले को सुलझाने की आवश्यकता है। दिल्ली एसटी और कोलकाता एसटी कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर आगे दिया जायेगा।

4.4.2 सेवा कर का वर्गीकरण

सीबीइसी की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहित सेवा कर मुख्य शीर्ष 0044 सेवा कर के अंतर्गत लेखांकन किया जाता है।

बोर्ड के निर्देशों[62] के अनुसार, ईसी विशिष्ट शीर्ष '00440298' के अंतर्गत चुकाया जाएगा और लेखांकन किया जाएगा। जबकि एसएचईसी, विशिष्ट शीर्ष '00440426' के अंतर्गत चुकाया और लेखांकित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 5.3 के अनुसार, वास्तविक लेखा में वर्गीकरण की त्रुटि को ठीक करने के लिए अन्तरण प्रविष्टियां आवश्यक है। यदि उन वर्षों, जिनमें त्रुटियां की गई थी, का लेखा बंद कर दिया गया है, ऐसी प्रविष्टि प्र.सीसीए के अनुमोदन से पास की जाएगी।

हमने कर/उपकर के गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामलों का अवलोकन किया जैसा कि आगामी पैराओं में वर्णन किया गया है।

4.4.2.1 सेवा कर/ईसी/एसएचईसी का लेखांकन

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद में मैसर्स वोडाफोन इंफ्रास्ट्रैक्चर लिमिटेड ने दिनांक 06 जनवरी 2012 को चालान द्वारा प्रत्यय भुगतान के माध्यम से 5.42 करोड़ (लेखांकन कोड 00440366), ईसी के ₹ 10.84 लाख (लेखांकन कोड 00440298) और एसएचईसी के ₹ 5.42 लाख (लेखांकन कोड 00440426) का सेवा कर जमा किया। पीएओ ने गलती से इस राशि का गलत लेखांकन किया जैसा कि तालिका 4.8 में विवरण दिया गया है:

---

[62] दिनांक 04 अक्टूबर 2007 के प्र.सीसीए के पत्र सं. सीओ-ओआरडी/13-6/98-99/संस्क.IV/के साथ पठित सीबीईसी द्वारा जारी परिपत्र सं. 161/2012-एसटी दिनांक 06 जुलाई 2012 और 165/16/2012 दिनांक 20 नवम्बर 2012

तालिका 4.8: जमा राशि का गलत लेखांकन

(₹ लाख में)

खाता शीर्ष	प्रति चालान के रूप में निर्धारिती द्वारा जमा की गई राशि	पीएओ द्वारा रिवैक्ट में बुक की गई राशि	अधिकता (+)/ कमी (-)
00440366	542.09 (सेवा कर)	5.42	-536.67
00440298	10.84 (2% ई उपकर)	542.09	+531.25
00440426	5.42 (1% एसएचई उपकर)	10.84	+5.42

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामले को प्र.सीसीए के साथ उठाया जाएगा। सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि निर्धारिती को उचित शीर्ष में सेवा कर जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती को उचित शीर्ष में सेवा कर जमा करने के निर्देश कमिश्नरी द्वारा जारी कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि पीएओ द्वारा प्रयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन किया जाएगा और इस संबंध में नये निर्देश जारी किये जाएंगे।

4.4.2.2 शिक्षा उपकर (इसी)/माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) का वर्गीकरण

सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संग्रहीत सेवा कर की गणना मुख्य शीर्ष 0044 सेवा कर के अंतर्गत की जाती है। शिक्षा उपकर (ईसी) और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी), केंद्र सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए उद्ग्रहीत किये जाते हैं और यह साझा करने योग्य शुल्क का भाग नहीं हैं। ईसी और एसएचईसी के अन्तर्गत लाभ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थांतरित किया जाता है। इसलिए, उपकर का उचित वर्गीकरण न केवल खातों के सटीक प्रस्तुतीकरण के लिए बल्कि ऐसे निर्धारित लक्ष्यों की राशि के आवटंन के लिए भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि हैदराबाद II कमिश्नरी के रेंज ग्रुप I और II से संबंधित 12 मामलों में ₹ 53.87 लाख की ईसी और एसएचईसी राशि की उचित रूप से लेखांकित नहीं की गई और राशि का अनुचित राजस्व लेखांकन कोड के अंतर्गत गलत वर्गीकरण किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को, गलत वर्गीकरण की घटनाओं को, संशोधन के लिए पीएओ के ज्ञापन में लाने के परामर्श दिये गये थे।

4.4.2.3 लेखांकन शीर्ष में त्रुटि का संशोधन

लेखांकन शीर्ष में सुधार करने के लिए प्र.सीसीए अनुदेश[63] के अनुसार, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी ओर से रखे गये उस वर्ष के व्यक्तिगत लेजर खाते (पीएलए) में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं या किये जा रहे है; पीएओ को संबंधित कमीश्नर से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। आवश्यक सुधार काम्पैक्ट (रिवैक्ट) द्वारा किये जाएंगे। यदि प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक राशि शामिल होती है, तो मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पीएओ भुवनेश्वर में, 19 मामलों में, निर्धारितियों ने लेखांकन शीर्ष में त्रुटि के सुधार के लिए पीएओ से अनुरोध किया। पीएओ ने संबंधित कमिश्नरियों से लेखांकन शीर्ष में त्रुटि के सुधार के लिए ऐसे सभी अनुरोधों को अग्रेषित किया परंतु ऐसे कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किये गये थे। कुल गलत वर्गीकरण ₹ 75.88 लाख (भुवनेश्वर । कमिश्नरी में ₹ 50.09 लाख और भुवनेश्वर ॥ कमिश्नरी ₹ 25.79 लाख) था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), पीएओ ने कहा (जुलाई 2014) कि भुवनेश्वर-। और ॥ कमिश्नरियों से अनुमोदन प्रतीक्षित था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि भुवनेश्वर । कमिश्नरी में सुधार करने के लिए संबंधित अनुभाग को आवश्यक निर्देश दिये जाएंगे और भुवनेश्वर ॥ में सुधार प्रक्रियाधीन था।

4.4.2.4 अवशिष्ट शीर्ष में सेवा कर का वर्गीकरण

नकारात्मक सूची प्रणाली में सेवा कर के भुगतान के लिए बोर्ड के निर्देशों[64] के अनुसार, एक नया लेखांकन कोड '00441089-नकारात्मक सूची के अलावा सभी कर योग्य सेवाएं' (अवशिष्ट लेखांकन कोड) सीबीइसी द्वारा अधिसूचित किया गया था और साथ-साथ उस समय प्रचलित सेवा विशिष्ट कोड़ भी रोक दिये गये थे। बाद में, दिनांक 20 नवम्बर 2012 के परिपत्र सं. 165/16/2012-एसटी द्वारा 120 सेवाओं, ब्याज शास्ति आदि के लिए विभिन्न लेखांकन कोड अधिसूचित किये गये थे। इसमें '00441089' से '00441480-

---

[63] अधिसूचना सं. समन्वय आई(एस)/आर.II/9-10/23 दिनांक 27 मई 2009

[64] परिपत्र सं. 161/12/2012-एसटी दिनांक 6 जुलाई 2012

अन्य कर योग्य सेवाऐं' को अवशिष्ट लेखांकन कोड का प्रतिस्थापन शामिल था। निर्धारितियों को प्रत्येक सेवाओं के लिए अधिसूचित लेखांकन शीर्ष में सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित था।

इस विसंगति को हटाने के लिए, महानिर्देशक, सेवा कर, मुंबई द्वारा सभी मुख्य कमिश्नरियों को अवशिष्ट लेखांकन शीर्ष 00441089 की अपेक्षा उचित शीर्ष के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए निर्धारितियों को समझाने के लिए निर्देश[65] दिये गये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्धारिती अवशिष्ट शीर्षों में सेवा कर का गलत वर्गीकरण करते रहे और पीएओ/कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि निम्नलिखित मामलों में दर्शाया गया है:

(i) पीएओ हैदराबाद में, सेवा कर प्राप्तियां नवम्बर 2012 के बाद भी उचित सेवा-वार शीर्षों की अपेक्षा अवशिष्ट लेखांकन शीर्ष '00441089' के अंतर्गत दर्ज की जा रही थी। 2013-14 में कुल ₹ 696.30 करोड़ सेवा कर का, अवशिष्ट शीर्ष '00441089' के अंतर्गत, गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि प्र.सीसीए से आवश्यक निदेशों की प्राप्ति के बाद सेवा वार शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

(ii) छः कमिश्नरियों[66] की नमूना जांच में यह भी पता चला कि 6,858 निर्धारितियों ने उचित सेवा कर शीर्षों की अपेक्षा अवशिष्ट शीर्ष में ₹ 335.64 करोड़ राशि का सेवा कर अदा किया। नवम्बर 2012 और सितम्बर 2013 में जारी किये गये निदेशों के अनुपालन में निर्धारितियों को निर्देश करने के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

हमने यह इंगित किया (जुलाई से अक्टूबर 2014)।

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2015) और सूचित किया कि रेंज कार्यालयों ने उचित शीर्ष में कर के भुगतान के लिए निर्धारितियों को जागरूक करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी थी और इसके लिए निर्देश जारी किये थे।

---

[65] परिपत्र सं. एफ.सं.वी/डीजीएसटी/राजस्व विवध/98/ 2012/3517 दिनांक 25 सितम्बर 2013

[66] राजकोट, अहमदाबाद एसटी, वापी, दमन, जयपुर I और जयपुर II

दमन कमिश्नरी ने सूचित (जनवरी 2015) किया कि निर्धारितियों से या तो उचित शीर्ष के अंतर्गत सेवा कर अदा करने को या लेखांकन कोड के परिवर्तन के संबंध में इस कार्यालय को अनुरोध प्रस्तुत करने को कहा गया था।

वापी कमिश्नरी के डिवीजन I, सिलवासा ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने सूचना के अभाव के कारण अवशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत सेवा कर अदा किया था और इस संबंध में उचित ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए कमिश्नरी से अनुरोध किया गया था।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई और सितम्बर 2014) कि निर्धारण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निर्देश मौखिक रूप से/टेलीफोन द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके थे।

जयपुर I और II कमिश्नरी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि संबंधित अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे।

मंत्रालय ने कमिश्नरियों के उत्तर की पुष्टि की (अक्टूबर 2015)। राजकोट कमिश्नरियों के मामले में, यह भी कहा गया कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि थी और इसका कोई राजस्व प्रभाव नहीं था।

यद्यपि, मामले का कोई राजस्व प्रभाव नहीं था, फिर भी गलत शीर्षों में कर के गलत वर्गीकरण से बजटीय और वित्तीय विश्लेषण के लिए सेवा-वार राजस्व आवटंन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा उचित वर्गीकरण के लिए पीएओ को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए प्र. सीसीए को निर्देश दिये जाने चाहिये और कमिश्नरी द्वारा उचित शीर्षों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए निर्धारितियों को निर्देश दिये जाने चाहिये।

मंत्रालय ने सिफारिश को यह कहते हुए अंशत: स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों को पीएओ को निर्देश जारी करने के लिए प्र. सीसीए को सूचित किया था। यद्यपि, उचित सेवा शीर्षों के अंतर्गत उचित वर्गीकरण के लिए निर्धारितियों को निर्देश जारी करने के लिए, यह कहा गया कि क्योंकि विभिन्न सेवाओं की परिभाषा अब अस्तित्व में नहीं है, निर्धारिती को उचित सेवा कोड के अंतर्गत कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि दिनांक 20 नवम्बर 2012 के परिपत्र के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए अधिसूचित लेखांकन शीर्ष में सेवा कर अदा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पीएओ के लिए सेवा-वार

वर्गीकरण संभव नहीं होगा यदि उक्त को निर्धारितियों द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता।

मंत्रालय द्वारा मामले की जांच करने की और निर्धारितियों और पीएओ को लगातार निर्देश देने की आवश्यकता है।

4.4.2.5 सेवा कर प्रतिदाय का वर्गीकरण

अप्रत्यक्ष कर (नियमपुस्तिका) के लेखांकन की नियमपुस्तका के पैरा 9.8.4 के अनुसार, राजस्व के प्रतिदाय के मामले में, कोई बजटीय आवटंन नहीं है और प्रतिदायों के संबंध में कुल मासिक भुगतान खाते के मुख्य शीर्ष की प्रासंगिक राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत 'कटौती प्रतिदाय' के रूप में खातों में बुक किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने गलत वर्गीकरण की कमियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है:

(i) पीएओ मेरठ में, 2013-14 के दौरान, एफपीबी ने सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रुप में बुक किया और पीएओ को भुगतान मसौदा भेजा। तथापि, पीएओ ने चेक के विवरणों के साथ मसौदे का सत्यापन नहीं किया और परिणाम स्वरूप 0037 (सीमाशुल्क) और 0044 (सेवा कर) के स्थान पर 0038 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) खाते के शीर्ष के अंतर्गत राशि बुक की गई जैसा कि मसौदे के साथ जुड़े प्रतिदाय चैक में विनिर्दिष्ट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 134.63 लाख की राशि वाले सेवा कर और सीमाशुल्क प्रतिदायों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदायों के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि एफपीबी द्वारा तैयार किये गये मसौदे के अनुसार बुकिंग की गई थी। पीएओ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त नियम के अनुसार भुगतान और प्रतिदाय चैकों की सूची के साथ पीएओ को सभी प्रतिदाय भुगतानों का सत्यापन करना है। यह भी दर्शाता है पीएओ ने ऐसे प्रतिदायों के संबंध में उचित नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पीएओ से निर्धारिती-वार संग्रहण रिपोर्ट की गैर-प्राप्ति के कारण मिलान नहीं किया जा सका।

(ii) पीएओ जमशेदपुर में, ₹ 42.91 लाख की राशि के प्रतिदाय दावा का भुगतान मै. रूंगटा माईंस लिमि., छायाबासा को और ₹ 0.52 लाख मै. क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट, जमशेदपुर को किया गया था, जिसे शुल्क कटौती

प्रतिदाय पर लेखा 0044 के शीर्ष (सेवा कर) के अतर्गत डेबिट किया जाना था, परंतु यह गलती से एफपीबी, जमशेदपुर द्वारा 0038 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) को डेबिट किया गया था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि बैंक को आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया था।

(iii) पीएओ (सीमाशुल्क), नई दिल्ली में, जनवरी नवम्बर 2013 के बीच, सेवा कर का प्रतिदाय, गलती से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के मसौदों में शामिल किया गया था। तथापि, पीएओ ने मसौदों का सत्यापन नहीं किया और सेवा कर प्रतिदाय 0044 सेवाकर की अपेक्षा 0037 सीमाशुल्क शीर्ष के अंतर्गत बुक किये जाने के कारण ₹ 139.18 लाख की राशि के सेवाकर प्रतिदाय का गलत वर्गीकरण किया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि भुगतानों की सूची (एलओपी) को भेजते हुए कमिश्नरियों ने सेवा कर प्रतिदाय को नहीं दर्शाया तथा एलओपी के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रोफार्मा को संशोधित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

4.5 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो जोखिम का समाधान करती है और प्रणाली और कार्यप्रणालियों की प्रभावशीलता और सटीकता के बारे में तर्कपूर्ण विश्वास प्रदान करती है। इस संबंध में हमने निम्नलिखित अपर्याप्तताएं देखी।

4.5.1 इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सेवा कर का भुगतान

1 अप्रैल 2010 से प्रभावी दिनांक 19 फरवरी 2010 की अधिसूचना सं. 01/2010 एसटी के साथ पठित सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(2) के अनुसार, वे निर्धारिती जिन्होंने पूर्व वित्तीय वर्ष में सेनवैट क्रेडिट की उपोगिता द्वारा अदा किये गये शुल्क की राशि सहित ₹ 10 लाख या अधिक का कुल शुल्क अदा किया है, वे इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से ही शुल्क को जमा करायेंगे। दिनांक 22 नवम्बर 2013 के सीबीईसी परिपत्र सं. 16/2013 एसटी द्वारा 1 जनवरी 2014 से लागू यह सीमा घटाकर ₹ 1 लाख कर दी गई थी। अक्टूबर 2014 से, कर भुगतान की राशि से असंबद्ध करके सभी निर्धारितियों के लिए इलैक्ट्रॉनिक भुगतान आवश्यक कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय अधिनियम 1994 के धारा 77(1)(डी) के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसके लिए इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर अदा करना अपेक्षित है, वह कर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अदा करने में असफल रहता है, तो वह ₹ 10,000 जुर्माने के रूप में अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 16 कमिश्नरियों में, 1765 निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किये। वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(डी) में प्रावधान के बावजूद, शुल्क प्रत्यक्ष रूप से शुल्क अदा करने पर निर्धारितियों को रोकने के लिए कोई जुर्माना विभाग द्वारा नहीं लगाया गया। उन निर्धारितियों पर देय जुर्माने की राशि, प्रत्येक निर्धारिती की एक चूक के लिए, ₹ 1.77 करोड़ तक गणित की गई थी।

हमने इसे अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच इंगित किया।

सेवा कर कमिश्नरी, अहमदाबाद ने सूचित किया (फरवरी 2015) कि संबंधित रेंज कार्यालयों ने ई-भुगतान द्वारा सेवा कर जमा करने के लिए निर्धारितियों को निर्देश दिये थे।

वापी कमिश्नरी (दिसम्बर 2014) ने उत्तर दिया कि निर्धारितियों ने इलैक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क अदा करना अब आरंभ किया था, यद्यपि पहले की अवधि हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जयपुर I और II कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिये गये थे।

राजकोट कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई और सितम्बर 2014) कि निर्धारितियों का इस विषय पर बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए उचित रूप से मार्गदर्शन किया गया था और इसे आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया था।

कोचीन कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि दोनों निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रयोग के लिए सूचित किया गया था और तब से वे अनुपालन कर रहे थे।

दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि भुगतान का माध्यम सुनिश्चित करने हेतु एसीईएस प्रणाली में कोई भी तंत्र नहीं था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि चालान विवरण हेतु एसीईएस में भुगतान माध्यम का अलग कॉलम है।

शेष 11 कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2015) कि सभी निर्धारितियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु ठीक तरह से बताया गया था। मंत्रालय अनुदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति लगाने पर मौन था।

4.5.2 निर्धारितियों के बैंक खाते में छूट/प्रतिदाय दावों का भुगतान

सीबीईसी ने दिनांक 09 अक्टूबर 2012 के पत्र एफटीएस सं. 171722/2012 द्वारा संबंधी निर्धारितियों/निर्यातकों के बैंक खाते में प्रतिदाय दावा राशि सीधे स्थानांतरित करने वाली प्रणाली/तंत्र स्थापित करने के अनुदेश दिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन अनुदेशों के विपरीत सीएओ, हैदराबाद-II कमिश्नरी में वर्ष 2013-14 के लिए खाते में लेखागत चेकों के माध्यम से ₹ 34.19 करोड़ के छूट/प्रतिदाय दावों के भुगतान किए गए थे।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2014), सीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि भविष्य में अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

एक तरफ तो विभाग में निर्धारिती को निरूत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान के मामले में निर्धारिती के लिए ₹ 10,000 की शास्ति का प्रावधान है, लेकिन विभाग स्वयं ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतिदाय का भुगतान नहीं कर रहा है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि बोर्ड द्वारा निर्धारितियों की कठिनाई दूर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसके अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के अनुदेश जारी करना चाहिये।

मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2015) और कहा कि बैंक खातों में प्रतिदाय/छूट का सीधे भुगतान करने के मामले पर विचार किया जा रहा था और विस्तृत प्रक्रिया बनाई जाएगी।

4.5.3 उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) से प्रतिदाय की मंजूरी

उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) की स्थापना केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 12 सी के अनुसार की गई थी। वित्तीय अधिनियम, 1944 की धारा 73 ए (6) के अनुसार अनुचित समृद्धि के परिणामस्वरूप बची हुई किसी भी बची राशि को सीडब्ल्यूएफ में क्रेडिट किया जाएगा। उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 1992 के नियम 3 के अनुसार सीडब्ल्यूएफ को क्रेडिट की

जाने वाली कोई भी राशि उचित अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी को देय के रूप में आदेशित हो तो निधि से इसका भुगतान किया जाएगा।

नियमपुस्तिका के पैरा 8.7.1 (vi) एवं (vii) के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी से जुडे पीएओ को 'राजस्व विभाग' की ओर से सीडब्ल्यूएफ से प्रतिदाय से संबंधित लेन-देन करने का अधिकार होगा। प्र. सीसीए सीडब्ल्यूएफ में से प्रतिदाय के भुगतान हेतु संबंधित पीएओ को चेक जारी करेगा। आरम्भ में, पीएओ को सरकारी खाते में चेक जमा करना अपेक्षित है और फिर सरकारी खाते से प्रतिदाय राशि डेबिट की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ, अहमदाबाद में मै. कर्णावती क्लब लिमिटेड को सीडब्ल्यूएफ में से ₹ 4.72 लाख के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी और प्र. सीसीए ने सरकारी खाते में राशि भेजने के लिए चेक जारी किया था और निर्धारिती के प्रतिदाय दावे का भुगतान किया गया था। तथापि, पीएओ, अहमदाबाद ने चेक को सरकारी खाते में जमा करने और तब निर्धारिती को प्रतिदाय चेक जारी करने की बजाए चेक को कर देयता के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान के रूप में बैंक में चेक जमा कर दिया। इस प्रकार राशि को प्रतिदाय आंकड़ों में नहीं शामिल किया गया था और इसे कम बताया गया था।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), पीएओ, अहमदाबाद ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि गलती से राशि बैंक खाते में जमा करा दी गई और यह भी सूचित किया गया संबंधित सेवा कर विभाग को दोहरे दावों को रोकने के लिए पार्टी को प्रतिदाय अनुमत नहीं करने की सलाह दी।

मंत्रालय ने पीएओ के उत्तर की पुष्टि की (अक्टूबर 2015)।

भाग - ग

सीमाशुल्क

4.6 सीमाशुल्क का लेखांकन

शुल्क संग्रहण की सही स्थिति बताने के लिए सीमाशुल्क का समुचित लेखांकन आवश्यक है। हमने सीमाशुल्क के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी:

4.6.1 सीमाशुल्क राजस्व प्राप्तियों का मिलान

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व ठीक तरह से सरकारी खाते में क्रेडिट किया गया है, पूर्णत: परिभाषित प्रक्रियाओं के साथ राजस्व प्राप्तियों का समुचित मिलान आवश्यक है। मिलान प्रक्रिया की समीक्षा पर हमने देखा कि प्रणाली में कमियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं में भी अनियमिततायें थी, जिस पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1.1 कमिश्नरियों द्वारा सीमाशुल्क राजस्व का मिलान

नियमपुस्तिका के पैरा 10.3.1 और 10.4.1 के अनुसार, मैनुअल भुगतान में आयातक/निर्यातक को वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिए विभाग द्वारा यथा निर्धारित बिल ऑफ एंट्री (बीई)/शिपिंग बिल भरना अपेक्षित है। बीई/एसबी में प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर पदनामित अधिकारी विभिन्न शुल्कों का निर्धारण/मदवार गणना करता है और प्राधिकृत बैंकों के काउंटर पर शुल्क के भुगतान हेतु मैनुअली या आइसगेट के माध्यम से चालानों की चार प्रतियाँ तैयार करता है। चालान की एक प्रति विस्तृत लेखांकन एवं मिलान हेतु प्राप्ति स्क्रोलों के साथ पीएओ को भेजी जाती है। नियमपुस्तिका के पैरा 10.3.2 में प्रावधान है कि पीएओ द्वारा संकलित राजस्व लेखे का विभागीय अधिकारी यथा सीएओ द्वारा संग्रहीत चालान सूचना के साथ भी मिलान किया जाता है।

हमने देखा कि नौ कमिश्नरियों[67] में, कमिश्नरी के सीमाशुल्क राजस्व आंकड़ों का 2011-12 से 2013-14 की अवधि में पीएओ आंकड़ों के साथ मिलान नहीं किया गया था। इस प्रकार इन कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 82,224 करोड़ की कुल सीमाशुल्क प्राप्ति मिलान से वंचित रही। यह भी देखा गया कि दो

[67] कांडला, कोलकाता (निवारक सीमाशुल्क), कोलकाता (पत्तन), कोलकाता (विमानपत्तन), अमृतसर, चेन्नई सीमाशुल्क, कोचीन (सीमाशुल्क), त्रिची और तूतीकोरिन

कमिश्नरियों[68] के संबंध में ₹ 3,947 करोड़ की राशि के प्रतिदाय/वापसी का मिलान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिश्नरियों में पीएओ डाटा के साथ सीएओ डाटा का मिलान किया और निम्नलिखित कमियां देखी:

(i) सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिश्नरियों में सीमाशुल्क राजस्व का पीएओ (राजस्व) कोलकाता के साथ मिलान करने पर वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान सीमाशुल्क में अंतर का पता चला जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: पीएओ और सीएओ के बीच सीमाशुल्कों में अंतर

(₹ लाख में)

सीमाशुल्क कमिश्नरी का नाम	वर्ष	सीएओ की सीमाशुल्क प्राप्तियां	पीएओ की सीमाशुल्क प्राप्तियां	कमिश्नरी द्वारा मिलान करने के कारण अंतर
सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता कमिश्नरी	2011-12	20,814	40,882	(-)20,068
	2012-13	40,943	46,200	(-)5,257
	2013-14	36,582	32,564	4,018
सीमाशुल्क कमिश्नरी, कोचीन	2011-12	1,89,514	1,90,454	(-)940
	2012-13	59,655	59,755	(-)100
	2013-14	18,085	17,999	86

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि सभी वर्षों में सीएओ और पीएओ के आंकड़ों में अंतर था। इस प्रकार, सरकारी लेखे में क्रेडिट किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(ii) सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता कमिश्नरी के प्रतिदाय/वापसी आंकड़ों में भी पीएओ द्वारा बुक किए आंकड़ों के प्रति अंतर था जैसा कि तालिका 4.10 में दर्शाया गया है:

[68] कोलकाता (निवारक सीमाशुल्क) और कांडला

तालिका 4.10: पीएओ और सीएओ के बीच वापसी/प्रतिदाय में अंतर

(₹ लाख में)

सीमाशुल्क कमिश्नरी का नाम	वर्ष	कमिश्नरी के अनुसार वापसी/प्रतिदाय	पीएओ (राजस्व) कोलकाता के अनुसार वापसी/प्रतिदाय	अंतर
सीमाशुल्क (निवारक), कोलकाता कमिश्नरी	2011-12	5,977	2,651	3,326
	2012-13	17,038	19,946	(-)2,908
	2013-14	19,447	9,857	9,590

2013-14 में ₹ 95.90 करोड़ के अंतर से पता चला कि यद्यपि प्रतिदाय की मंजूरी कमिश्नरी द्वारा दी गई थी, फिर भी इसे निर्धारितियों के खातों में समय पर क्रेडिट नहीं किया गया था।

हमने इसे इंगित किया (जुलाई से नवम्बर 2014)।

सीएओ सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता और सीमाशुल्क कोचीन कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि पीएओ सीमाशुल्क प्राप्ति डाटा तीन या चार महीने के अंतराल पर भेज रहा था जिसका मुख्य या उपशीर्ष-वार विभाजन के अभाव में मिलान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पीएओ (राजस्व), कोलकाता ने सूचित किया कि तत्पश्चात मासिक आधार पर सीडी सीएओ को भेजी जाएगी।

सीएओ (पत्तन एवं विमानपत्तन), कोलकाता ने पुष्टि की (सितम्बर 2014) कि मिलान नहीं किया गया था।

सीमाशुल्क कमिश्नरी, अमृतसर ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि पीएओ से समुचित डाटा के अभाव में मिलान नहीं किया जा सका और पीएओ से पार्टीवार रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था।

चेन्नई सीमाशुल्क, तूतीकोरीन, कांडला, कोच्ची सीमाशुल्क और त्रिच्ची कमिश्नरी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

पीएओ कांडला ने बताया (अक्टूबर 2014) कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लेखे बंद कर दिए गए थे, उनमें सुधार की गुजांइश नहीं थी और पीएओ द्वारा सरकार को सूचित किए गए आंकड़ों को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, पीएओ सहमत हुआ कि चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) से मिलान कार्य शुरू किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क के लेखांकन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मासिक आंकड़ों का मिलान आवश्यक था। इसके अतिरिक्त,

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 5.3.3 में स्थानांतरण प्रविष्टियों का प्रावधान है, यदि त्रुटि का विद्यमान वित्तीय वर्ष में पता लग जाए। यदि लेखे बंद कर दिए जाते हैं तो विशिष्ट गलत प्रविष्टि के नीचे प्रविष्टि करने का प्रावधान है। कांडला कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित था।

पीएओ सीमाशुल्क भवन, चेन्नई ने मिलान न करने की पुष्टि की (अगस्त 2014)।

पीएओ (तूतीकोरीन) ने बताया (अगस्त 2014) कि सीएओ द्वारा अक्टूबर 2012 तक की अवधि तक मिलान किया गया था और नवम्बर 2012 से आगे से अभी मिलान किया जाना शेष है।

पीएओ (सीमाशुल्क), कोचीन ने सूचित किया कि इन आंकड़ों के मिलान के लिए मामलों को विभाग के साथ उठाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि कांडला एवं कोचीन कमिश्नरियों में मिलान शुरू हो चुका था। अमृतसर कमिश्नरी में बार-बार अनुरोध के बावजूद पीएओ से निर्धारिती-वार राजस्व रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी जिस कारण मिलान नहीं किया गया। अक्टूबर 2014 में सीबीईसी में पुनर्संरचना के पश्चात राजस्व संग्रहण एवं मिलान कार्य, लुधियाना कमिश्नरी को स्थानांतरित कर दिया गया है। चेन्नै कमिश्नरी में राजस्व आंकड़े आगे से माहवार प्राप्त किये जायेंगे । तूतीकोरिन एवं त्रिची कमिश्नरी में वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 तक मिलान पूरा कर लिया गया था। कोलकाता (निवारक), कोलकाता (पत्तन) एवं कोलकाता (विमानपत्तन) में लेखपरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी।

4.6.1.2 आंकड़े-वार मासिक विवरण (डीएमएस) और निष्पादित विवरण (पीटीएस) के बीच कमियां

नियमपुस्तिका के पैरा 6.12.3 के अनुसार, एफपीबी संबंधित पीएओ को प्रस्तुत करने के लिए मासिक आधार पर डीएमएस बनाएगा। नियमपुस्तिका के पैरा 6.15 में उल्लेख है कि सीएएस, आरबीआई, नागपुर सरकारी लेखे में बैंक-वार, पीएओ-वार और मुख्य शीर्षवार राशि दर्शाते हुए पीटीएस विवरण सृजित करेगा।

नियमपुस्तिका के पैरा 6.10 में प्रावधान है कि पीएओ और संबंधित एफपीबी डीएमएस और पीटीएस के बीच मिलान हेतु उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएओ अमृतसर में पीटीएस और डीएमएस का मिलान नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि तीन पीएओ/ई-पीएओ[69] में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए सीएएस, आरबीआई, नागपुर द्वारा तैयार किए गए पीटीएस तथा एफपीबी के डीएमएस के बीच अंतर पता चला था जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है लेकिन इसमें सुधार नहीं किया गया था।

तालिका 4.11 डीएमएस एवं पीटीएस में अंतर (2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए)

(₹ **लाख में**)

कमिश्नरी/पीएओ	प्राप्तियां		भुगतान	
	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक	डीएमएस में अधिक	पीटीएस में अधिक
कोलकाता		23.06		19.61
तिरूपति		4.69		52.07
ई-पीएओ[70](सीमाशुल्क) दिल्ली	476.00	658.00		
कुल	**476.00**	**685.75**		**71.68**

प्राप्ति पक्ष में ₹ 4.76 करोड़ की राशि डीएमएस में अधिक थी जो दर्शाती है कि धनराशि का भुगतान बैंक में किया गया था लेकिन सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी। भुगतान पक्ष में, ₹ 71.68 लाख की राशि पीटीएस में अधिक थी जो दर्शाती है कि सरकारी लेखा से बैंकों द्वारा उनके द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि से अधिक का दावा किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई से अक्टूबर 2014), ई-पीएओ सीमाशुल्क, नई दिल्ली ने सूचित किया कि मामले को बैंकों के साथ उठाया गया था। पीएओ, तिरूपति ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि अंतर के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पीएओ, कोलकाता ने सूचित किया कि एसबीआई के पास कमियां लंबित थी और इस संबंध में बैंक को कई अनुस्मारक जारी किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) की कोलकाता कमिश्नरी में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आगे की प्रगति भेजी जाएगी। ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली के लिए इसने कहा कि मामला पीएओ से सम्बंधित था तथा उत्तर भेजा जायेगा। अमृतसर एवं तिरुपति कमिश्नरी के लिए उत्तर प्रतीक्षित था ।

[69] कोलकाता, तिरुपति और ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दिल्ली

[70] ई-पीएओ (सीमाशुल्क) अखिल भारत स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित है

4.6.1.3 सीमाशुल्क के लिए आईसगेट और बैंक डाटा में भिन्नता

नियमपुस्तिका के पैरा 10.9 के अनुसार, ई-पीएओ (सीमाशुल्क) दैनिक के आधार पर ई-भुगतानों के माध्यम से सीमाशुल्क प्राप्त करने वाले प्राधिकृत बैंकों से सीमाशुल्क संग्रहण डाटा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, ई-पीएओ प्रतिदिन आधार पर आईसगेट से भी सीमाशुल्क डाटा प्राप्त करता है। दोनों डाटा को कॉम्पैक्ट-रीवैक्ट प्रणाली में अपलोड किया जाता है और दैनिक आधार पर लेखे का संकलन किया जाता है।

मार्च 2014 के लिए ई-पीएओ (सीमाशुल्क), दिल्ली के डाटा की नमूना जांच से पता चला कि आईसगेट में ₹ 538.16 करोड़ की राशि वाले 7,853 मामले थे जो बैंक डाटा से मेल नहीं खाते थे। इसी प्रकार, बैंक डाटा में ₹ 628.37 करोड़ राशि वाले 8,464 मामले थे जो आइसगेट डाटा से मेल नहीं खाते थे।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2014), ई-पीएओ ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि इसके पास डाटाबेस का ढाँचागत डाटा नहीं था इसलिए यह आइसगेट डाटा में अंतर और बैंक डाटा के अंतर में स्पष्टीकरण हेतु एनआईसी से संपर्क करेगा।

4.6.2 सीमाशुल्क का वर्गीकरण

भारत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु शिक्षा उपकर (ईसी) और माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर (एसएचईसी) का उद्ग्रहण किया जा रहा है और ये विभाज्य सीमाशुल्क के भाग नहीं हैं। ईसी और एसएचईसी के तहत प्राप्तियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए लेखाओं के समुचित प्रस्तुतीकरण और ऐसे अपेक्षित उद्देश्यों के लिए राशि के आवटंन हेतु इस उपकर का सही वर्गीकरण आवश्यक है।

4.6.2.1 ईसी/एसएचईसी का वर्गीकरण

प्र. सीसीए के अनुदेशों[71] के अनुसार, सीमाशुल्क शिक्षा उपकर भुगतान लेखांकन शीर्ष 00370066 के तहत और एसएचईसी का भुगतान लेखांकन शीर्ष 00370068 के तहत किया जाना है। उप लेखा नियंत्रक (डब्ल्यूजेड), मुंबई ने सभी पीएओ को चालानों में कमियों की जांच करने और ईसी/एसएचईसी के आंकड़ों को सही से बुक करने का अनुदेश[72] दिया ताकि

---

[71] पत्र सं समन्वय/13-6/98-99/भाग-IV/454 दिनांक 04 अक्टूबर 2007

[72] प्र. सीसीए के दिनांक 24 जुलाई 2012 और नवम्बर 2012 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के परिपत्र सं.डीसीए/डब्ल्यूजेड/परिपत्र/2012-13/744 के द्वारा

इन शीर्षों के तहत राजस्व, वसूले गए सीमाशुल्क का तीन प्रतिशत के बराबर रहे।

लेखापरीक्षा ने बैंक से गलत सूचना के कारण गलत वर्गीकरण के दृष्टान्त देखे जो निम्नलिखित है:

(i) पीएओ अहमदाबाद में, ₹ 2792.95 करोड़ का सीमाशुल्क (जिसमें आयात शुल्क और ईसी/ईएचईसी शामिल था) वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अंतर्गत संबंधित शीर्षों में ईसी/एसएचईसी राशि बुक करने की बजाए आयात शुल्क शीर्ष 00370002/00370005 के अंतर्गत बुक कर दिया गया था। इस प्रकार, ₹ 54.23 करोड़ की ईसी और ₹ 27.11 करोड़ की एसएचईसी का सीमाशुल्क के रुप में गलत वर्गीकरण किया गया था।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), पीएओ अहमदाबाद ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि बैंकों से प्राप्त भौतिक चालानों के आधार पर प्रविष्टियाँ की गई थी और चूँकि निर्धारितियों ने राशि को किसी उप-शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया था, इसलिए जैसे चालान मिले थे उसी तरह दर्ज कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता कि कुछ चालानों में निर्धारितियों ने ईसी/एसएचईसी राशि को अलग-अलग दर्शाया था। इसके अतिरिक्त, पीएओ ने उल्लिखित निर्देशों के अनुसार चालान डाटा के सुधार हेतु सीमाशुल्क कमिश्नरी के साथ मामले को नहीं उठाया।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक से सम्बंधित राजस्व पहले ही लेखाबद्ध किया जा चुका था, तथापि, मामला उच्च प्राधिकारियों के साथ आवश्यक सुधार करने हेतु उठाया जा रहा था। सीमाशुल्क राजस्व का मिलान अब नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ii) पीएओ केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन में लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 4.31 करोड़ की समस्त सीमाशुल्क प्राप्तियों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए 'अन्य प्राप्तियाँ-सीमाशुल्क' शीर्ष के तहत बुक किया गया था। इस प्रकार जुलाई 2014 में, ईसी/एसएचईसी की ₹ 12.56 करोड़ का सीमाशुल्क के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया था।

हमने जुलाई 2014 में इसे इंगित किया। पीएओ से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा पीएओ से सम्बंधित था और उत्तर उनके द्वारा दिया जाना अपेक्षित था।

(iii) पीएओ (सीमाशुल्क) कोचीन में, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए उपकर सहित प्राप्तियों ₹ 2,682.08 करोड़ थी और उपरोक्त राशि पर तीन प्रतिशत की दर से ईसी/ एसएचईसी ₹ 78.12 करोड़ निकाला गया। तथापि, उपरोक्त अवधि हेतु वर्गीकृत सार में बुक किया गया उपकर ₹ 11.84 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.28 करोड़ की राशि तक की ईसी और एसएचईसी की कम गणना हुई जैसा कि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: उपकर संग्रहण में अंतर

(₹ लाख में)

वर्ष	**समेकित सार के अनुसार प्राप्तियां**	**स्वीकार्य उपकर [कॉलम(2)*3/103]**	**समेकित सार आंकड़ों में दर्शाई गई राशि**			**अंतर**
			ईसी	**एसएचईसी**	**कुल**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)= (3-6)**
2011-12	1,90,453.66	5,547.19	514.74	246.41	761.15	4,786.04
2012-13	59,754.88	1740.43	116.93	56.45	173.37	1,567.06
2013-14	17,998.99	524.24	167.70	81.81	249.51	274.73
कुल	**2,68,207.53**	**7,811.87**	**799.37**	**384.67**	**1,184.04**	**6,627.83**

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), पीएओ कोचीन ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि समेकित सार सीएओ के मासिक लेखा आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था और आंकड़ों की समीक्षा एवं उपकर की वास्तविक राशि सुनिश्चित करने के लिए मामले को कमिश्नरी के साथ उठाया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएओ को चालानों/बैंक स्क्रोल और आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर शुल्क का वर्गीकरण करना होता है।

डीसीए चेन्नई ने बताया (मई 2015) कि पीएओ द्वारा लेखांकन उचित तरीके से किया जाएगा और कि विभाग को मामला उठाना और आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे।

4.6.2.2 कोम्पैक्ट (रिवेक्ट) में सीमाशुल्क प्राप्तियों की चलान-वार प्रविष्टि किया जाना

नियमपुस्तिका के पैरा 12.1 के अनुसार, प्रत्येक पीएओ कोम्पेक्ट (रीवेक्ट) सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करते हुए उसके लेखांकन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कमिश्नरियों के लिए प्रतिदायों और वापसियों के लेखों पर राजस्व प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए कार्यालय ने सभी

पीएओ कार्यालयों को चलान-वार प्रविष्टियों की पोस्टिगं करने के लिए अनुदेश[73] दिए थे।

लेखापरीक्षा ने चलानों की प्रविष्टियों में चूकें पायीं जैसा कि नीचे विस्तृत वर्णन दिया गया है:

(i) पीएओ कांडला में, अक्तूबर 2013 से पूर्व रीवेक्ट सोफ्टवेयर में सीमाशुल्क प्राप्तियों की चलान वार प्रविष्टियां नहीं की गई थी और एफपीबी द्वारा दिनांक वार मासिक विवरण (डीएमएस) में प्रस्तुत किए गए आंकडों की लेखाओं में प्रविष्टि नहीं की गई थी। फरवरी-मार्च 2014 के चलानों की नमूना जांच से पता चला कि 17 मामलों में, अपने संबंधित शीर्षों के बजाय, ईसी, एसएचई और स्वच्छ ऊर्जा उपकर गलती से सीमाशुल्क के एकल शीर्ष (00370005) में बुक किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, नमूना जांच किए गए 17 मामलों में क्रमशः ₹ 66.08 लाख, ₹ 33.04 लाख और ₹ 8.91 करोड़ की राशि का गलत वर्णीकरण हुआ।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि पीएओ ने कतिपय उपकर जैसे रबड़ उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर इत्यादि, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संग्रहीत किया जाता है का लेखांकन नहीं किया। उचित लेखाकंन के अभाव में, अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए संग्रहीत इन उपकरों की राशि की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्तूबर 2014), पीएओ कांडला ने सूचना दी (अक्तूबर 2014) कि राशि को सही तरीके से वर्गीकृत किया गया था और सीमाशुल्क प्राप्तियों के वर्ष वार आकंडों की प्रति भी प्रस्तुत की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए मामलों में रीवेक्ट सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों को गलती से एकल शीर्ष में लेखांकित किया गया था। उत्तर चलान वार प्रविष्टि के अभाव में अन्य उपकर का उचित लेखाकंन सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र के संबंध में मौन था।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि नवम्बर 2013 से रिवेक्ट में चालान-वार प्रविष्टि प्रारम्भ कर दी गयी थी तथा सेस की राशि उपयुक्त लेखांकन शीर्षों में प्रविष्ट की जा रही थी।

(ii) पीएओ दिल्ली में, हमने पाया कि प्रत्येक चलान की कोई नियमित फीडींग नहीं होती थी। तथापि, अधिकतर समय, हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से

---

[73] दिनाक 14 फरवरी 2012, 21 दिसम्बर 2012 के पत्रों और दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के परिपत्र सं. डीसीए/डब्ल्यूजेड/ परिपत्र/2012-13 द्वारा

सिस्टम में प्राप्तियों और प्रतिदायों के दिनांक वार मासिक विवरण (डीएमएस) के आकंडों की प्रविष्टि की गई थी। 2011-12 से 2013-14 के दौरान हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से की गई पोस्टिंग को नीचे तालिकबद्ध किया गया है:

तालिका 4.13 : चलान वार प्रविष्टि नहीं की गई सीमाशुल्क प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएओ (सीमाशुल्क) द्वारा संकलित राजस्व लेखों के अनुसार आकंडें	अवधि के दौरान किए गए हस्तांतरण प्रविष्टियों के आंकडे	हस्तांतरण प्रविष्टयों के माध्यम से प्रविष्ट आकंडों की प्रतिशतता
2011-12	17446.04	17218.85	98.70
2012-13	8070.15	7796.24	96.60
2013-14	2159.99	885.55	41.00
जोड़	**27676.18**	**25900.64**	**93.58**

2011-12 से 2013-14, के दौरान, ₹ 27,676.18 करोड़ में से, ₹ 25,900.64 करोड़ (93.58%) को हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से सिस्टम में प्रविष्ट किया गया था। 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से प्रविष्टि आंकडों की प्रतिशतता क्रमशः 98.7%, 96.6% और 41% थी। इसके अलावा हमने पाया कि आयातों पर सभी सीमाशुल्क '0037001010201- सभी अन्य वस्तुएं के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे और अप्रैल 2011, अगस्त 2011, जनवरी 2012, अप्रैल 2012, दिसम्बर 2012, फरवरी 2013, अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के माह में ईसी/एसएचईसी के अन्तर्गत कोई बुकिंग नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्तूबर 2014) पीएओ ने आपत्ति को स्वीकर किया और सूचना दी (दिसम्बर 2014) कि स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण चलानों की प्रविष्टि, नहीं हो सकी और अब चलान-वार प्रविष्टि प्रारंभ हो गई थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि चलान वार प्रविष्टि के अभाव में, ईसी, एसएचईसी की प्रविष्टि और अन्य उपकर की सही तरीके से गणना नहीं की जा सकती थी और उपकर की गणना न करने के कारण, उपकर की सही राशि को संबंधित शीर्ष में हस्तांतरित करना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था जिससे उपकर लगाने का उद्देश्य विफल हो गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

(iii) पीएओ कोलकाता में भी, यह पाया गया कि चलान-वार प्रविष्टि के बावजूद बैंक से प्राप्त हुए डीएमएस के आधार पर हस्तांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से सिस्टम में प्रविष्टियां की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्तूबर 2014) पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्तूबर 2014)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । आगे की प्रगति भेजी जाएगी ।

बोर्ड शुल्क और उपकर की सही गणना सुनिश्चित करने के लिए चलान में उचित प्रविष्टियां करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

4.6.3 उचंत खाते के शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

सरकारी लेखे में उचंत शीर्ष का संचालन उन लेन देनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रारंभ में किसी या अन्य कारण से उनके अन्तिम लेखे के शीर्ष में बुक नहीं किया जा सकता। उन्हें अन्ततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा क्लीयर किया जाता है, जब राशि को लेखे के अन्तिम शीर्ष में ले जाया जाता है। यदि उचंत शीर्ष के अन्तर्गत राशि असमायोजित रहती है तो, इन शीर्षों के अन्तर्गत शेष संचित हो जाते है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का अवकथन होता है। मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 136 को उचंत के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राप्तियों के लिए संचालित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने प्र. सीसीए नई दिल्ली के अभिलेखों से यह पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष '8658- उचंत लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष थे जैसा तालिका 4.14 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 4.14 : मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखा' के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹. करोड़ में)

	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
136- सीमाशुल्क प्राप्तियों का प्रतीक्षित हस्तांतरण	145.47	जमा	252.28	जमा	249.50	जमा	222.56	जमा	223.26	जमा

जब हमने इस बारे में बताया (अक्तूबर 2014), प्रधान सीसीए ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के ₹ 144.13 करोड़ के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति सहित थी। अतः पिछले वर्षों से संबंधित बकाया ₹ 79.13 करोड़ की क्लीयरेंस प्रतीक्षित थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा प्र. सीसीए से सम्बंधित था । प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015) ।

4.6.4 सीमाशुल्क लेखे के विभिन्न शीर्षों में प्राप्तियों की राशियां, जिनका हस्तांतरण प्रतीक्षित (आरएटी) था, का स्वैच्छिक हस्तांतरण

नियमपुस्तिका के पैरा 12.7.7 में अनुबन्ध किया गया है कि खो चुके/गुम हो चुके चलानों के संबंध में पीएओ को पूर्ण विवरण सहित गुम या खोए हुए चलान के बदले में बैंक से प्रमाणपत्र, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक रूप से बैंक के पास उपलब्ध खाता वर्गीकरण होता है, प्राप्त करना होता है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक, गुम चलान की कुल राशि खाते के सुसंगत शीर्ष नामतः 0044(एसटी)/0038(सीएक्स) या 0037(सी.शु.)-आरएटी के अन्तर्गत बुक किया जाता है । अगले दिन गुम या खोये हुए चालानों के प्रति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 0044/0038 या 0037- आरएटी में बुक की गई राशि को, जैसा गुम हुए चलान के बदले प्रमाणपत्र में प्रावधान किया गया हो, लेखे के उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत बुकिंग द्वारा रिवर्स किया जाता है ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-पीएओ सीमाशुल्क दिल्ली में, जनवरी 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान '00370080001- अन्य लघु शीर्ष इत्यादि' को हस्तांतरण प्रतीक्षित प्राप्ति (आरएटी) शीर्ष के अन्तर्गत आकंडों को दिसम्बर 2012 और मार्च 2014 के माह को छोडकर प्रत्येक माह के लेखों में दर्शाया गया था। 16.1.2012 से 28.02.2014 की अवधि के लिए मासिक लेखों में इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए समेकित आंकडों का तालिका 4.15 में विस्तृत रुप से दिखाया गया है:

तालिका 4.15: हस्तांतरण प्रतीक्षित प्राप्तियों (सीमाशुल्क) के अन्तर्गत राशियां

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	अवधि	शीर्ष आरएटी के अन्तर्गत आकंडे
1.	16.01.2012 से 31.03.2012	89.10
2.	01.04.2012 से 31.10.2012	744.61
3.	01.11.2012 से 30.11.2012	(-)744.61
4.	01.01.2013 से 28.02.2013	655.83
5.	01.03.2013 से 31.03.2013	(-)655.83
6.	01.04.2013 से 31.01.2014	2622.30
7.	01.02.2014 से 28.02.2014	(-)2622.30

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि शीर्ष के अन्तर्गत बुक राशि को स्वेच्छा से अन्य लघु शीर्षों में हस्तांतरित किया जा रहा था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्तूबर 2014) ई-पीएओ ने सूचना दी (दिसम्बर 2014) कि चूंकि उनका कार्यालय आरएटी के अन्तर्गत आने वाली

राशि के सभी वर्गीकरण जानने की स्थिति में नहीं था, इसलिए आरएटी से राशि को सीमाशुल्क संग्रहण के विभिन्न लेखा शीर्षों को क्लीयर किया गया था और मामला स्पष्टीकरण के लिए प्र.सीसीए के साथ उठाया गया था।

उत्तर से पता चलता है कि पीएओ ने आरएटी आकंडों के समायोजन के लिए नियमपुस्तिका प्रक्रियाओं/अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि पैरा प्र. सीसीए से सम्बंधित था । प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015) ।

4.6.5 सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के विलम्बित जमा पर बैंकों से ब्याज की वसूली

नियमपुस्तिका के पैरा 12.11.9 अनुसार सीएएस, आरबीआई, नागपुर के साथ प्रेषण के लेनदेन का निपटान, स्थानीय लेनदेन के मामले में जहां संग्रहण शाखा समान शहर/समूह में है, टी+3 कार्यालयी दिवस और बाहरी लेनदेन के मामले में टी+5 कार्यालयी दिवस अन्दर पूरा करना अपेक्षित है।

नियमपुस्तिका का पैरा 12.11.7 में प्रावधान है कि प्र. सीसीए कार्यालय, नई दिल्ली के प्र.एओ प्राधिकृत बैंकों द्वारा सरकारी लेखे में राजस्व प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब और ऐसे विलम्बित प्रेषणों पर ब्याज की वसूली की निगरानी करता है।

पीएओ हैदराबाद में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारी लेखे में राजस्व प्राप्तियों को जमा करने में 11 दिन से 385 दिन के विलम्ब हुए थे फिर भी ऐसे विलम्बित क्रेडिट पर ₹ 3.15 करोड़ की राशि के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यह विलम्ब प्र.सीसीए द्वारा सभी बैंकों के लिए (पैरा 4.2.4 क – सीएक्स देखें) परिकलित ब्याज में शामिल नहीं था।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि ब्याज की दर को आरबीआई के बेस दर में परिर्वतन के समय पर सॉफ्टवेयर में अद्यतित नहीं किया गया था जैसा कि पैरा 4.2.4 (ख) में ब्यौरा दिया गया है।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्तूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि ब्याज की वसूली को प्र. सीसीए के साथ उठाया जायेगा ।

4.6.6 बैंक को राजस्व के प्रेषण में विलम्ब

प्राप्तियों और भुगतान नियमावली 1983 के नियम 6 (1) की शर्तों में राजस्व या प्राप्तियों के लेखा या सरकार के प्राप्यों के लेखा पर सरकारी अधिकारियों को प्राप्त या प्रस्तुत सभी धन राशि को सरकारी खाते में शामिल करने के लिए बिना अदेय विलम्ब के मान्य बैंक में पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोलकाता सीमाशुल्क कमिश्नरी (निवारक) और सीमाशुल्क हाऊस ट्रेजरी कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी में नकद प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब थे। नमूना जांच किए गए मामलों में, हमने पाया कि सरकारी खाते में ₹ 1.03 करोड़ तक की राशि की प्राप्तियों के प्रेषण में विलम्ब 6-32 दिनों के बीच के थे।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014), पेट्रापोल सीमाशुल्क सर्किल के सीमाशुल्क अधीक्षक ने स्वीकार किया कि बगडा निवारक यूनिट में प्रेषणों में विलम्ब था (सितम्बर 2014) और आश्वासन दिया कि भविष्य में निर्धारित प्रतिमानों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

घोजादंगा एलसीएस एवं पीयू के रेंज अधिकारियों और तेंतुलिया सीमाशुल्क निवारक यूनिट ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि बैंक में नकद ले जाने के लिए कोई उचित परिवहन/सरकारी वाहन की अनुपलब्धता के कारण और बीच में छुटिटयां होने के कारण नकदी समय पर जमा नहीं करवाई जा सकी। सीएओ सीमाशुल्क हाऊस कोलकाता ने बताया (सितम्बर 2014) कि सशस्त्र गार्डों की अनुपलब्धता के कारण ऐसे विलम्ब हुए थे और वर्तमान में रोकड प्राप्तियां आरबीआई में हफ्ते में एक बार या दो बार जमा करवाई जा रही हैं।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नोट की गयी थी तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । आगे की प्रगति भेजी जाएगी ।

बोर्ड को सरकारी खाते में रोकड प्राप्तियों के समय पर प्रेषण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिये।

4.6.7 वापसी का गैर/विलम्बित भुगतान

नियमपुस्तिका के पैरा 11.5.2 के अनुसार सीमाशुल्क विभाग (वापसी/प्रतिदाय) से 'वापसी संवितरण के मिलान के मासिक विवरण' की प्राप्ति पर, पीएओ महीने के दौरान प्राधिकृत भुगतानों की वापसी/प्रतिदाय के आकंडों और मिलान विवरण में बैंक द्वारा किए दर्शाए गए भुगतान का उसके

खाते के अनुसार आकंडों से मिलान करेगा। पी एओ के ध्यान में लाई गई किसी भी प्रकार की विसंगति को परिशोधन हेतु सीमाशुल्क विभाग (वापसी) के ध्यान में लाया जाएगा।

बैंकों और आरबीआई के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार बैंकं को पहले वापसी का भुगतान और फिर आरबीआई से प्रति पूर्ति के लिए दावा करना होता है। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित अपर्याप्तताएं देखीं।

पीएओ हैदराबाद में, इनलैंड कन्टेनर डिपो, हैदराबाद और एयर कार्गो काम्पलेक्स, शमशाबाद से संबंधित वापसी के संबंध में बैंकों ने निर्यातकों को भुगतान करने से पहले सरकारी खाते से राशि आहरित की थी। राशि के आहरण की अवधि और वास्ताव में किए गए भुगतान के बीच अन्तर 1 से 185 दिन बीच का था। इसके अलावा, बैंक ने सरकारी खाते से राशि आहरित करने के बाद लेनदेन में विफलता के कारण ₹ 35.09 लाख की वापसी राशि का भुगतान नहीं किया था। इस राशि में से, बैंक ने सरकार को ₹ 10.21 लाख वापसी किए किन्तु बकाया ₹ 24.88 लाख की राशि को अक्तूबर 2014 तक वापस नहीं किया था।

इसी प्रकार गाजियाबाद कमिश्नरी में वर्ष 2013-14 के लिए इनलैंड कन्टेनर डिपो, लोनी से संबंधित ₹ 64.65 लाख की राशि के 79 वापसी भुगतान के विफल लेनदेन के कारण निर्धारिती को अदा नहीं किया गया था किन्तु राशि का बाद में सरकारी खाते से आहरित कर लिया गया था।

सीमाशुल्क कमिश्नरी कांडला में, ₹ 48.35 लाख की फिरती राशि वाले 66 मामलों में बैंक ने सीमाशुल्क विभाग को बैंकर चैक के माध्यम से अदत्त राशि वापसी की थी। बैंकर चैक की वैधता समाप्त हो गई और 40 से 1568 दिनों के बीच के विलम्ब से बैंक द्वारा उन्हें पुनः वैध किया गया था। अतः वापसी राशियां विभाग के पास लम्बित पडी रही और सरकार को वापिस भुगतान नहीं किया गया था। 29 अन्य मामलों, में बैंक द्वारा वापिस की गई राशि सरकारी खाते में प्रेषित नहीं की गई थी किन्तु उसका भुगतान निर्यातकों को 172 से 1204 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

पीएओ कोचीन में बैंक को वापसी भुगतानों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित किया गया था। 153 मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नरी कोचीन से संबंधित ₹ 33.38 लाख की राशि को न तो निर्यातकों को अनुपलब्धता के कारण भुगतान किया गया न ही सरकारी खाते में वापिस जमा किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2014 से अक्तूबर 2014 के बीच) पीएओ हैदराबाद ने सूचना दी (अगस्त 2014) कि मामला संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था।

पीएओ कांडला ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामला अगस्त 2012 में प्र.सीसीए कार्यालय में हुई बैंक की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला में और दोबारा एसबीआई कांडला के साथ जोनल उप नियंत्रक लेखा, मुम्बई द्वारा उठाया गया था।

पीएओ कोचीन ने सूचना दी (सितम्बर 2014) कि प्र. सीसीए कार्यालय ने विभाग को ऐसी राशि को सरकारी खाते में हस्तांतरित करने के अनुदेश दिए हैं।

डीसीए चेन्नई ने बताया (मई 2015) कि प्र. सीसीए ने बैंकों, द्वारा शुल्क वापसी भुगतान की लेखापरीक्षा की और भुगतान को कारगर बनाया गया। सभी बैंको ने विभाग को निपटान न किए गए भुगतानों को जमा किया जिसे संबंधित पीएओ द्वारा सरकारी लेखाओं में क्रेडिट कर दिया गया था।

उत्तर से पता चलता है कि बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व को अवरुद्ध किया गया था जिससे उन्हें वित्तीय लाभ हुआ था और वापसी भुगतान के गैर मिलान के कारण सरकार को ब्याज की हानि हुई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि हैदराबाद में 11.09.2014 को बैंक से प्राप्त ₹ 38.91 के डीडी की अवधि समाप्त हो गयी थी जिसे 24.02.2015 को पुनः वैध किया गया था और पीएओ को भेजा गया था । गाज़ियाबाद कमिश्नरी के सम्बन्ध में इसने बताया वापसी वितरण के असफल लेनदेन के कारण ₹ 42.76 लाख की राशि बैंक से प्राप्त हुई थी जिसे सरकारी कहते में जमा करा दिया गया था । कांडला कमिश्नरी में प्र. सीसीए के निर्देशानुसार ₹ 48.35 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा की गयी थी । कोचीन कमिश्नरी में बैंक द्वारा लौटाई गयी वापसी की सभी राशि सरकारी कहते में जमा कर दी गयी थी ।

बोर्ड को बैंकों द्वारा वास्तविक भुगतानों से पूर्व सरकार से वापसी प्रतिपूर्ति दावे द्वारा एमओयू खंडों की अवहेलना की जांच करने की आवश्यकता है।

4.7 निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो जोखिम को सम्बोधित करता है और सिस्टम और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता और पर्याप्तताओं के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है। इस संबंध में हमने निम्नलिखित अपर्याप्तताएं पाई।

4.7.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा करना

नियमपुस्तिका के पैरा 3.2.2. (vi) के अनुसार प्र. सीसीए मुख्यालय, डिविजन और रेज स्तरों में सीमाशुल्क, सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों की और भुगतान और लेखा कार्यालयों (पीएओ) सहित सहायक प्राधिकारों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-पीएओ (सीमाशुल्क) नई दिल्ली, पीएओ (सीमाशुल्क) नई दिल्ली, अमृतसर कोलकाता, कांडला, तिरूचिरापल्ली, चेन्नई और तूतीकोरीन में 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

सभी पीएओ ने लेखापरीक्षा न करने को स्वीकार किया (जुलाई से अप्रैल 2015)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि तूतीकोरिन की आंतरिक लेखापरीक्षा जून 2013 तक की जा चुकी थी तथा पीएओ त्रिची की लेखापरीक्षा नवम्बर 2015 में निर्धारित की गयी थी । इसने यह भी कहा कि प्र. सीसीए द्वारा कांडला में जुलाई 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के लिए कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी, यद्यपि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति 2011-12 से 2013-14 की अवधि से सम्बंधित थी । शेष पीएओ के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.7.2 रोकड़ बही का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 21 के साथ पठित नियम 13 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की ओर से नकद प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है को फार्म जी.ए.आर 3 में रोकड बही का अनुरक्षण करना चाहिए और रसीद पर हस्ताक्षर और उसका काउंटर फायल पर आद्यक्षर करने से पूर्व, जब वह अपने आप को संतुष्ट कर ले, आदाता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद जारी करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमाशुल्क कमिश्नरी (निवारक) कोलकाता के अन्तर्गत पेट्रापोल निवारक यूनिट में किसी रोकड बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जनवरी और फरवरी 2014 के महीनों के लिए मासिक तकनीकी रिपोर्ट की संवीक्षा से टीआर चालान के माध्यम से वास्तव में संग्रहित राशि और सीमाशुल्क कमिश्नरी (पी) कोलकाता में दर्शाए गए आंकडों के बीच अन्तर का पता चला जैसा तालिका 4.16 में दर्शाया गया है।

तलिका 4.16: टीआर-5 चलान और एमटीआर आकंडों में असमानता

(₹ लाख में)

माह	कुल टीआर-5 चलान	एमटीआर आंकडे	आधिक्य/कमी
जनवरी-2014	151.65	149.91	1.74
फरवरी-2014	158.28	177.13	(-) 18.85

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014), अधीक्षक, पैट्रापोल निवारक यूनिट ने त्रुटियों को स्वीकार किया और पुष्टि की कि टीआर-5 में दर्शाएं गए आंकडे सही थे।

चूंकि रोकड बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, वास्तविक उगाही के साथ प्रेषण और रोकड शेष के प्रति सत्यापन की कोई गुंजाइश नही थी। राजस्व संग्रहण की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप सीएओ द्वारा गलत लेखाकंन परिणत होगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी ।

4.7.3 एफपीबी से 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्रों की प्राप्ति

प्र.सीसीए द्वारा जारी नियमपुस्तिका के पैरा 6.11.1 (जे) के अनुसार एफपीबी को अनुवर्ती महीने के आखिरी कार्य दिवस पर पीएओ को एक मासिक प्रमाण पत्र जारी करना होता है जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि उसके नियंत्रण के अधीन संग्रहण करने वाली शाखा के पास या उसके और संग्रहण करने वाली शाखा के बीच कहीं पाइपलाइन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमाशुल्क की शून्य राशि पडी है (29 मई 1995 की आरबीआई सं. 358/41.04.001/97-98) ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः पीएओ[74] में, एफपीबी ने मासिक स्क्रोल के साथ 'शून्य' लम्बन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रमाणपत्र के अभाव में, एफपीबी के पास सरकारी राजस्व रखने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त से अक्तूबर 2014), संबंधित सभी पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचना दी (अगस्त से अक्तूबर 2014) कि नियमित रूप से उक्त प्रमाणपत्रों को भेजने के लिए मामला एफपीबी के साथ उठाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि गुजरात जोन में, वित्त वर्ष के लेखा बंद करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक से कोई स्क्रॉल विलम्बित नहीं है ।

---

[74] पीएओ (सीमाशुल्क) कोलकाता, कोलकाता सीमाशुल्क (निवारक), कांडला, दिल्ली, कोचीन और अमृतसर

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया, बैंक से शून्य विलम्बित प्रमाणपत्र अपेक्षित करती है।

कोचीन कमिश्नरी के लिए इसने कहा कि उत्तर पीएओ द्वारा भेजा जाना है । शेष पीएओ के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.7.4 बैंक स्क्रोल के रजिस्टर और गुम चलानो के रजिस्टरों का अनुरक्षण

नियमपुस्तिका के पैरा 12.2 के अनुसार, सामयिक प्राप्ति और बैंक स्क्रोलों के निपटान को देखने के लिए पीएओ द्वारा बैंक स्क्रोलों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। इस रजिस्टर को हर महीने बंद किया जाना चाहिए और एक रिपोर्ट जिसमें बैंक से नहीं प्राप्त की गई दैनिक स्क्रोल की तिथि और इस संबंध में की गई कार्रवाई को पीएओ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गुम/खो चुके चलानों के लिए विशिष्ट प्रारूप में रजिस्टर के अनुरक्षण की आवश्यकता है और उसे अनुवर्ती महीने की 10वी तिथि को बंद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएओ कांडला, दिल्ली अमृतसर और कोलकाता में बैंक स्क्रोल के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, पीएओ दिल्ली में 2011-12 से 2013-14 वर्षों के लिए न तो गुम चलानों के संबंध में संबंधित बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और न ही इन गुम चलानों पर निगरानी रखने के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था चूंकि ऐसे रजिस्टर बैंक स्क्रोलों की प्राप्ति और निपटान की प्रभावी मानीटरिंग के लिए अनिवार्य हैं, इनका अनुरक्षण न करना आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में चूकों इंगित करता है।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014 से अक्तूबर 2014), सभी पीएओ ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर से अक्तूबर 2014)। पीएओ अमृतसर ने आगे सूचना दी कि भविष्य में अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट कर लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2015) कि अभ्युक्ति पीएओ से सम्बंधित थी । प्र. सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

4.8 निष्कर्ष

सीबीईसी में कर लेखांकन और मिलान प्रक्रिया में शुल्क भुगतान के तरीके और डाटा के इलैक्ट्रॉनिक विनिमय के कारण संशोधन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुपालन किए जा रहे मौजूद नियमपुस्तका/अनुदेशों में भी संशोधन की आवश्यकता है। राजस्व के उचित लेखाकंन और मिलान को

सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अनुदेशों के अनुपालन की बेहतर मानीटरिंग की आवश्यकता है।

4.9 सिफारिशें :

सिफारिशें सं. 3

बोर्ड को इलैक्ट्रॉनिक भुगतान और डाटा के हस्तांतरण और तदनुसार उनके संशोधन के दृष्टिगत वर्तमान नियमपुस्तकों/अनुदेशों का विश्लेषण करना चाहिये।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि ईएएसआईईएसटी और पीएओ के बीच मिलान में त्रुटियों की जांच की जा रही है और इस मामले को सम्बोधित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 4

आरबीआई द्वारा जब भी ब्याज की दर में संशोधन किया जाए तो सॉफ्टवेयर में आवश्यक अद्यतन और पूर्व अवधि के लिए बैंकों से विभेदक ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जानी चाहिये।

मंत्रालय ने स्वीकार किया और बताया (अक्तूबर 2015) कि ब्याज दर का समय से अद्यतन करने के लिए विलम्ब की मानीटरिंग के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर की पुनरीक्षा की जा रही थी।

सिफारिश सं. 5

निर्धारिति की चैक के बदले प्रतिदाय और वापसी का ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि प्रतिदाय और वापसी के आनलाइन भुगतान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रतिदाय के इलैक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान के लिए ई-पीएओ (प्रतिदाय) के सृजन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।